सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 343, नई दिल्ली । बुधवार, 21 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं।

03 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी एलाइंस की बड़ी जीत...
06 पॉलिटिकल फंडिंग पारदर्शी, साफ-सुथरी हो
08 दिल्ली के इन इलाकों में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, सीएम ने दी मंजूरी

उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिर परिवहन विभाग ने जारी किए दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर जीवन समाप्ति वाले वाहनों की हैंडलिंग के लिए दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली परिवहन विभाग 5/9, अंडर हिल रोड दिल्ली-110054
दिनांक :- 20/02/24

एफ .नं .डीसी/स्क्रैपिंग/टीपीटी/2024/12278

दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर जीवन समाप्ति वाले वाहनों की हैंडलिंग के लिए दिशानिर्देश, 2024

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यू .पी .(सी) 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) में आदेश दिनांक 29 .10 .2018 के तहत एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन। ओ .ए . में पारित एनजीटी के दिनांक 07 .04 .2015 के आदेशों के अनुसार वर्षों पुराने वाहन नहीं चलेंगे। क्रमांक 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम भारत संघ।
और जबकि, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें देश भर में पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रोत्साहन/निराशाजनक प्रणाली शामिल है, मोटर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 को जीएसआर अधिसूचना 653 (ई) दिनांक 23 .09 .2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसे जीएसआर अधिसूचना 695 (ई) दिनांक 13 .09 के माध्यम से संशोधित किया गया था। 2022।"
और जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22 .08 .2023 के तहत W .P .(C) 10749/2023 के पैरा 21 में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि "चूंकि ऐसे कई वाहन हैं जिन्हें समान परिस्थितियों में जब्त किया गया है, जिनमें मालिक इस आदेश के अनुसार वचन देने के इच्छुक हो सकते हैं, जीएनसीटीडी को मालिकों द्वारा उपरोक्त वचन पत्र पर ऐसे वाहनों की रिहाई के लिए एक नीति तैयार करने और उसे उचित प्रचार देने का निर्देश दिया गया है।
इसलिए, सरकार . राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मानना है कि जीवन समाप्ति वाले वाहनों को ज़ब्त करने/जब्त करने/स्क्रैप करने/छोड़ने (कुछ शर्तों और जुर्माने के साथ) के लिए दिशानिर्देश आवश्यक हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विभिन्न निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भी ये दिशानिर्देश आवश्यक हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में कबाड़ वाहन लावारिस पाए जाते हैं जिनका पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।
इसलिए, "सार्वजनिक स्थान पर जीवन समाप्ति वाले वाहन को संभालने के लिए दिशानिर्देश 2024" निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं: -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आवेदन :-
(i) इन दिशानिर्देशों को ₹जीवन समाप्त वाहन को संभालने के लिए दिशानिर्देश₹ कहा जाएगा

सार्वजनिक स्थान पर 2024"

(ii) ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

(iii)वे जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो :-
(i) "अधिनियम" का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 है।

(ii) ₹स्क्रैपिंग₹ का अर्थ है जीवन समाप्ति वाले वाहनों की प्राप्ति और रिकॉर्ड से लेकर प्रदूषण मुक्त करना, नष्ट करना, सामग्री को अलग करना, गैर-पुन: प्रयोज्य भागों का सुरक्षित निपटान और वाहन प्रमाणपत्र जारी करना सहित पूरी प्रक्रिया।

मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक को स्क्रैपिंग; (iii) स्क्रैपिंग यार्ड का अर्थ है पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के परिसर के भीतर निर्दिष्ट स्थान जहां जीवन के अंत वाले वाहनों को रीसाइक्लिंग सहित आगे के उपचार के लिए संसाधित किया जाता है;
(iv) पंजीकृत स्क्रैपर का अर्थ है एक व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट या कंपनी जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का मालिक है और उसका संचालन कर रहा है;

(v) "प्राधिकरण" का अर्थ इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए आयुक्त (परिवहन) द्वारा नामित अधिकारी है, जो उप-अधिकारी के पद से नीचे का नहीं हो। आयुक्त.

(vi) वाहन का अर्थ मोटर वाहन या वाहन है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित है।

(vii) "प्रवर्तन एजेंसी" का अर्थ है दिल्ली यातायात पुलिस, नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, सीईओ, छावनी बोर्ड और परिवहन विभाग सरकार। दिल्ली के एनसीटी के.

(viii) ₹जीवन समाप्ति वाले वाहन₹ का अर्थ है वे सभी वाहन जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं हैं या उनका पंजीकरण अध्याय IV के तहत रद्द कर दिया गया है।

अधिनियम या किसी न्यायालय के आदेश के कारण।

(ix) सार्वजनिक स्थान का अर्थ है वह स्थान जिसमें वे सभी स्थान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के कभी भी जा सकता है। इसमें सिविक एजेंसी या कार्य विभाग द्वारा विकसित सभी सड़कें, जल निकासी और फुटपाथ, पैदल यात्री स्थान भी शामिल हैं। इसमें वे सभी भूमि शामिल हैं जो जनता के स्वामित्व में हैं और जनता के लिए सुलभ हैं।

(x) इस दिशानिर्देश में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम/नियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम/नियमों में दिए गए हैं।

3. प्रवर्तन अभियान
(i) प्रवर्तन एजेंसी को दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों से जीवन समाप्ति वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए निरंतर प्रवर्तन अभियान चलाना चाहिए और सीएक्यूएम को प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण विभाग को एक दैनिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

(ii) सार्वजनिक स्थान पर चलते या पार्क किए गए वाहनों का जीवन समाप्त हो जाएगा

प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त/जब्त किया जाएगा और जब्ती के समय अनुबंध -1 (iii) के अनुसार एक जब्ती ज्ञापन सौंपा जाएगा, आरवीएसएफ नियम 2021 के नियम 10 के तहत उप-नियम 1 के खंड (vi) के अनुसार, "प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त किए गए वाहनों को सौंप दिया जाएगा

आरवीएसएफ (पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा) को, यदि वे की कसौटी पर खरे उतरते हैं

वाहन स्क्रैपिंग नियम 8 के तहत प्रदान की गई है जो डी-पंजीकृत अंत है
जीवन वाहनों का.

(iv) "पंजीकृत स्क्रैपर" के पास मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के अनुसार वैध आरवीएसएफ लाइसेंस होना चाहिए।

(v) आरवीएसएफ नियमों के नियम 8(x) के अनुसार, "किसी राज्य में स्थापित आरवीएसएफ किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को स्वीकार और स्क्रैप कर सकता है।"
इसलिए, सभी पंजीकृत स्क्रैपर जिनके पास अपने संबंधित परिवहन प्राधिकरण से आरवीएसएफ लाइसेंस है, उन्हें प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(vi) प्रवर्तन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायसंगत हो

सभी आरवीएसएफएस के बीच स्क्रैपिंग सुविधाओं का वितरण/उपयोग

जो स्वैच्छिक रूप से खुद को प्रवर्तन अभियान से जोड़ते हैं। (vii) आरवीएसएफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जब्त किए गए वाहन को आरवीएसएफ नियम 2021 के अनुसार सख्ती से स्क्रैप करें।

4. निरीक्षण का अधिकार :-
(1) इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पंजीकृत स्क्रैपर को कार्यालय और स्क्रैपिंग यार्ड और उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और रजिस्टर और परिसर में सभी मशीनरी उपकरण और उपकरण को प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए सभी उचित समय पर खुला रखना चाहिए। परिवहन विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि।

(ii) समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और नियमों के उल्लंघन के मामले में, परिवहन आयुक्त जांच करने के बाद आरवीएसएफ को दिल्ली के एनसीटी में किसी भी प्रवर्तन एजेंसी के साथ प्रवर्तन अभियान में भाग लेने से एक निश्चित अस्थायी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है या स्थायी रूप से।

5. अपंजीकृत वाहन के लिए एनओसी :-
वाहन की एनओसी वाहन के जीवन की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर या इस नीति के लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, दिल्ली के एनसीटी से बाहर ले जाने के लिए ली जा सकती है।

6. जब्त किए गए वाहनों (दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत) की रिहाई की प्रक्रिया
श्रेणी 1: जो लोग अपना वाहन दिल्ली-एनसीआर से बाहर स्थानांतरित करना चाहते हैं

(i) दिल्ली के एनसीटी में सार्वजनिक स्थान पर ईएलवी के संचालन और पार्किंग पर, एक बार पहली बार जब्त किए जाने के बाद इसे प्रस्तुत करने के आधार पर जारी किया जा सकता है।

नीचे दिए गए दस्तावेज़:
क) एक वचनपत्र कि वाहन दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जाएगा या पार्क नहीं किया जाएगा और दिल्ली के एनसीटी से हटा दिया जाएगा।

बी) वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ग) वाहन को दिल्ली-एनसीआर के बाहर, अंदर स्थानांतरित करने के लिए वाहनों की एनओसी मामला वाहन दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत है

डी) 4-व्हीलर के मामले में, दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थानों के प्रबंधन नियम, 2019 (इसके बाद ₹पार्किंग नियम 2019₹) में अधिसूचित टोइंग चार्ज और पार्किंग शुल्क के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना जारी करने से पहले लिया जाएगा। ऐसे ईएलवी.

ई) दोपहिया वाहनों के मामले में, ऐसे ईएलवी जारी करने से पहले पार्किंग नियम 2019 में अधिसूचित टोइंग चार्ज और पार्किंग शुल्क के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ii) उपरोक्त दस्तावेज़ जमा करने पर, प्रवर्तन एजेंसी रिलीज़ ऑर्डर जारी करेगी जिसके आधार पर संबंधित आरवीएसएफ वाहन को अपने स्क्रैपिंग यार्ड से रिलीज़ कर सकता है।

यदि वाहन जब्ती के बाद पहले से ही दिल्ली-एनसीआर से बाहर है, तो उसे दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्क्रैपिंग यार्ड से ही दिल्ली-एनसीआर के बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

श्रेणी 2: जो लोग अपने वाहन को निजी स्थान पर पार्क करना चाहते हैं जो साझा पार्किंग स्थान नहीं है।

(i) सार्वजनिक स्थान पर ईएलवी चलाने और पार्किंग करने पर, पहली बार जब्त किए गए वाहनों को निम्नलिखित वाहन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर छोड़ा जा सकता है
क) एक वचन पत्र कि यदि वाहन छोड़ा जाता है, तो इसे दिल्ली में नहीं चलाया जाएगा या दिल्ली के एनसीटी के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क नहीं किया जाएगा, और उन्हें आवेदक के लिए उपलब्ध निजी पार्किंग स्थान में रखा जाएगा, न कि किसी साझा पार्किंग स्थल में।, भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो। आवासीय परिसर के अंदर मालिक को जो पार्किंग स्थान आवंटित किया गया है उसे निजी पार्किंग स्थान माना जाएगा।

बी) आवेदक के परिसर के भीतर निजी पार्किंग स्थान का प्रमाण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो आरडब्ल्यूए या किसी भी संबंधित प्राधिकारी, जो भी लागू हो, से आवंटन पत्र हो सकता है।

ग) वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

डी) 4-व्हीलर के मामले में, ऐसे ईएलवी जारी करने से पहले पार्किंग नियम 2019 में अधिसूचित टोइंग चार्ज और पार्किंग शुल्क के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ई) दोपहिया वाहनों के मामले में, ऐसे ईएलवी जारी करने से पहले पार्किंग नियम 2019 में अधिसूचित टोइंग चार्ज और पार्किंग शुल्क के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(ii) उपरोक्त दस्तावेज़ जमा करने पर, प्रवर्तन एजेंसी रिलीज़ ऑर्डर जारी करेगी जिसके आधार पर संबंधित आरवीएसएफ वाहन को अपने स्क्रैपिंग यार्ड से रिलीज़ कर सकता है। यदि वाहन स्क्रैपिंग यार्ड में पहले से ही दिल्ली-एनसीआर से बाहर है, तो इसे वाहन मालिक द्वारा वाहन मालिक के निजी पार्किंग स्थान पर टो करके ले जाया जाना चाहिए।

7. वाहनों के संबंध में प्रक्रिया (दिल्ली-एनसीआर के बाहर पंजीकृत)
(i) 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और दिल्ली-एनसीआर के बाहर पंजीकृत वाहनों को सार्वजनिक स्थान पर चलाने और पार्क करने पर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए:

ए) पंजीकृत मालिक से एक वचन पत्र जिसमें ऐसे वाहन की उपस्थिति का कारण बताया गया है जो दिल्ली के एनसीटी में पहले से ही प्रतिबंधित है, साथ ही इस बात की पुष्टि भी है कि वाहन दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

बी) वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ग) 4-पहिया वाहन के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

घ) दोपहिया वाहन के मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ई) यदि वाहन मालिक द्वारा मौके पर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पहला अपराध परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, और वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसे तभी हटाया जाएगा जब वाहन मालिक द्वारा चालान/जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

(ii) उसी वाहन द्वारा दूसरे अपराध के मामले में, वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैपिंग यूनिट को भेज दिया जाएगा।

8. जब्त किया गया वाहन जिसे छोड़ा नहीं जा सकता
(i) एनी एंड ऑफ लाइफ वाहन दूसरी बार जब्त किया गया।
(ii) डीजल ईंधन पर चलने वाले और 10 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहन।

9. ज़ब्त वाहनों को ख़त्म करना:
(i) आवश्यक दस्तावेजों के साथ वाहन की रिहाई के लिए आवेदन वाहन को जब्त करने के 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस पर प्रवर्तन एजेंसी ऐसे आवेदन के एक सप्ताह के भीतर निर्णय देगी।
(ii) इस उद्देश्य के लिए प्रवर्तन एजेंसी, आरवीएसएफ और वाहन मालिक के बीच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।

(iii) वाहन को तीन स्थितियों में स्क्रैप किया जाएगा:

क) वाहन को जब्त करने के 3 सप्ताह के भीतर वाहन की रिहाई के लिए आवेदन जमा न करना।

बी) प्रवर्तन एजेंसी को वाहन की रिहाई के लिए प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति।

ग) उपक्रम का पालन न करने पर एमवी अधिनियम 1988, सीएमवीआर नियम 1989, डीएमवीआर नियम 1993 और इसके संशोधन और आरवीएसएफ नियम 2021 और इसके संशोधनों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ एक ही वाहन को दूसरी बार जब्त करने के मामले में।

10. वाहनों का स्क्रैप मूल्य:
(i) वाहन के अंतिम जीवन के लिए स्क्रैप मूल्य वाहन के लौह स्क्रैप घटक के मूल्य के 90% के रूप में निर्धारित किया जाएगा। एंड ऑफ लाइफ वाहनों में लौह स्क्रैप का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए मानक सूत्र वाहन के वजन के 65% पर लिया जा सकता है। ईएलवी के स्क्रैप मूल्य तय करते समय लौह स्क्रैप की दर को पिछले तीन महीनों के दौरान स्टील स्क्रैप की कीमत के चलती औसत के रूप में लिया जा सकता है।

(ii) आरवीएसएफ द्वारा वाहन स्वीकार किए जाने के 15 दिनों के भीतर सभी स्क्रैप मूल्य का भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से वाहन मालिक के नाम पर बैंक खाते में किया जाएगा।

(iii) जिस वाहन के स्क्रैप मूल्य का दावा 15 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया गया है, स्क्रैप मूल्य संबंधित आरवीएसएफ द्वारा डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसी के सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।

11. लागू अधिनियम/नियम :-
(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 समय-समय पर संशोधित

(ii) केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 समय-समय पर संशोधित

(iii) दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 समय-समय पर संशोधित

(iv) मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 और इसके संशोधन नियम, 2022।

यह मुद्दा माननीय मंत्री (परिवहन), जीएनसीटीडी के पूर्व अनुमोदन से

विशेष आयुक्त (स्क्रैपिंग सेल)

सभी संबंधित हितधारक
एफ .एन .ओ .डीसी/स्क्रैपिंग/टीपीटी/2024/12278

दिनांक :-20/02/24 को, में कॉपी:

1. सूचनार्थ, परिवहन मंत्री, जीएनसीटीडी के ओएसडी

2. सूचनार्थ, मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी के ओएसडी

3. जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष सीएक्यूएम के निजी सचिव

4. जानकारी के लिए सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के निजी सचिव 5. विशेष। यातायात पुलिस आयुक्त (मुख्यालय), प्रकाश शास्त्री मार्ग, मेन रोड, इंदर की ओर

पुरी, नई दिल्ली, दिल्ली 110012 सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए 6. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी प्रधान कार्यालय) पालिका केंद्र संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

7. एमसीडी कमिश्नर डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

8. समस्त विशेष आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई।

9. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें

परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी।
विशेष आयुक्त (स्क्रैपिंग सेल)

इनसाइड

"दांपत्य जीवन"

दांपत्य जीवन के लिए गुण मिलापक के समय ध्यान देने योग्य बातें-:
शादी- विवाह के लिए जितना गुण मिलान आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा लड़का व लड़की की कुंडली का विश्लेषण भी अति आवश्यक है।
विवाह का उद्देश्य गृहस्थ जीवन में पदार्पण के साथ ही वंशवृद्धि और उत्तम दांपत्य सुख प्राप्त करना होता है। प्रेम व सामंजस्य से परिपूर्ण परिवार ही इस संसार में स्वर्ग के समान होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति की संभावनाओं के ज्ञान के लिए मनुष्य की जन्म कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये कारक हैं- सप्तम भाव एवं सप्तमेश, द्वादश भाव एवं द्वादशेश, द्वितीय भाव एवं द्वितीयेश, पंचम भाव एवं पंचमेश, अष्टम भाव एवं अष्टमेश के अतिरिक्त दांपत्य का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र (पुरुषों के लिए) व गुरु (स्त्रियों के लिए)। अतः दांपत्य जीवन के लिए इन सभी कारकों का अध्ययन करना चाहिए।
जैसे सप्तम भाव एवं सप्तमेश-:
दांपत्य सुख प्राप्ति के लिए सप्तम भाव का विशेष महत्व होता है। सप्तम भाव ही साझेदारी का भी होता है। विवाह में साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः सप्तम भाव पर कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति को सप्तमेश कहा जाता है। सप्तम भाव की तरह ही सप्तमेश पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और न ही सप्तमेश किसी अशुभ भाव में स्थित होना चाहिए। कुल मिलाकर सप्तम भाव व सप्तमेश जितनी अच्छी स्थिति में होंगे दांपत्य जीवन उतना ही अच्छा होगा।

इस उम्र में बच्चा पैदा किया तो रहेगा बीमार, सेहत देख हमेशा रहेगी टेंशन, जानें एक्सपर्ट की राय

माता-पिता बनने का निर्णय कपल की आपसी सहमति से लिया जाता है. आजकल ज्यादातर कपल वर्किंग हैं, इसलिए वे माता-पिता बनने का फैसला देर से ले रहे हैं. हालांकि, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश महिलाएं 30 से 31 वर्ष की आयु के बीच बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं.
भारत में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है. अब शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का बिल पास हो गया है. शादी की सही उम्र क्या है, इस सवाल पर काफी चर्चा हुई है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के माता-पिता बनने की सही उम्र क्या है, इस पर कम ही चर्चा होती है.

आमतौर पर कपल शादी के एक से दो साल के भीतर परिवार की योजना बनाते हैं. लेकिन यह एक वर्किंग महिला के लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है. इस फैसले में पति-पत्नी दोनों की भूमिका होती है. लड़कियों के मां बनने की एक उम्र होती है. क्योंकि ओव्यूलेशन की एक निश्चित समय सीमा होती है. लेकिन पुरुषों में स्पर्म उत्पादन की कोई निश्चित सीमा नहीं है. हालांकि, पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता में गिरावट आती है.
इसके अलावा, 18 से 30 साल की उम्र के बीच महिलाओं की प्रजनन क्षमता बच्चे पैदा करने के लिए उपयुक्त होती है. 30 साल की उम्र के बाद प्रजनन क्षमता कम होने लगती है.
पुरुषों में 25 से 35 साल के बीच स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है और 35 साल के बाद उनका पिता बनना मुश्किल होता है. यह भी सच है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष भी बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं. क्योंकि शरीर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है.
बच्चे पैदा करने की सही उम्र 20 से 30 वर्ष है. विशेषज्ञों के मुताबिक, पुरुषों की अधिक उम्र के कारण बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्हें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है, क्योंकि 30 के बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब रहती है.

महिलाओं की औषधि व टॉनिक हैं ये 6 चीजें, हैवी पीरियड्स फ्लो में रामबाण, बांझपन से भी मिल सकता छुटकारा

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बीमारियों का जोखिम अधिक होता है. हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स और प्रेगनेंसी की वजह से आए दिन उन्हें किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है. यही वजह है खुद को सेहतमंद रख पाना महिलाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है. इन परेशानियों से बचने के लिए महिलाएं तमाम उपाय करती हैं. लेकिन, आयुर्वेद में कई ऐसी कई जड़ी-बूटियों का जिक्र है, जो महिलाओं के लिए औषधि व टॉनिक मानी जाती हैं. इनके नियमित सेवन से महिलाओं को शारीरिक समस्याएं, पीसीओएस, पीरियड क्रैम्प, नींद न आने की समस्या, बढ़ते वजन, त्वचा और बालों से संबंधित परेशानियों से निजात मिल सकती है. आइए यूएचएम जिला अस्पताल कानपुर की आयुर्वेदाचार्य डॉ. विभा वर्मा से जानते हैं इन औषधियों के बारे में-

अशोकः डॉ. विभा वर्मा बताती हैं कि, यह पेड़ आपको किसी भी पार्क या जंगल में देखने को मिल जाएगा. इस पर लाल रंग के फूल आते हैं और इसके पत्ते लंबे होते हैं. क्या आप जानते हैं कि यह पेड़ महिलाओं में मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम करने, त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, फीमेल होर्मोन को बैलेंस करने की क्षमता होती है.
मंजिष्ठा: एक्सपर्ट की मानें तो जंगली झाड़ की तरह दिखने वाला यह पौधा आपको किसी भी जंगल या पार्क में नजर आ सकता है. आयुर्वेद में इसे एक जबरदस्त जड़ी बूटी माना गया है. बताया जाता है कि इसमें खून साफ करने, इन्फ्लामेशन से लड़ने और स्किन से जुड़ी समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है.
शतपुष्पा: आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, जीरे और सौंफ के पौधे की तरह दिखने वाली इस पौधे में कई औषधीय गुण होते हैं जिस वजह से आयुर्वेद में इसका

कई रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह पौधा महिलाओं को होने वाली कब्ज, हड्डियों में कमजोरी दूर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है.
शतावरी: शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली शतावरी एक जड़ी-बूटी है. आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई दवाओं और बीमारियों के इलाज में किया जाता है. अगर आप तनाव, मूड स्विंग, हार्मोन में बदलाव जैसी समस्याओं से पीड़ति हैं, तो यह जड़ी बूटी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है.
अश्वगंधा: कुछ महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स, क्रैम्प, इनफर्टिलिटी की समस्या, चेहरे के बालों का बढ़ना, पीरियड्स देर से आना, मेनोपॉज के दौरान कई तरह की समस्याएं होना कॉमन है. ये कई बार स्ट्रेस के कारण भी हो सकते हैं. हॉर्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी महिलाओं में रिप्रोडक्टिव इशूज होते हैं. ऐसे में अश्वगंधा के सेवन से लाभ पहुंचता है. अश्वगंधा को आप रेगुलर दूध के साथ लेंगी तो ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी.
सहजन: सहजन की पत्तियां महिलाओं में असंतुलित हार्मोन को बैलेंस करती है. मुख्य रूप से कई महिलाएं थायराइड, पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं. यह बीमारियां हार्मोन असंतुलन की वजह से होता है. इन समस्याओं को दूर करने के लिए सहजन की पत्तियों से बनी चाय या फिर पाउडर के रूप में सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है

व्रत-उपवास व विज्ञान

जापान के सेल बायोलॉजिस्ट 'योशिनोरी ओसुमी' को चिकित्सा के क्षेत्र में ऑटोफैगी के एक महत्वपूर्ण शोध के लिए साल 2016 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओसुमी ने अपने शोध में पाया कि अगर आदमी कई घंटों तक कुछ भी न खाये, तो कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को ही खाने लगती हैं. इसी प्रक्रिया को आटोफैगी कहते हैं।
'आटोफैगी' का शाब्दिक अर्थ ही 'खुद को खा लेना' होता है।
और इस प्रक्रिया में कोशिकाएं खुद को ही खा लेती हैं. सेल बायोलॉजी की एक मौलिक प्रक्रिया है ऑटोफैगी, जो हमारी सेहत और बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है. इससे जाहिर है कि उपवास हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। अपने शोध में योशिनोरी ओसुमी ने बताया है कि अगर साल में एक बार भी कोई इंसान 20 से 25 दिन रोजाना 9-10 घंटों तक भूखा रहे, तो इससे कैंसर के क्वांटम डॉट्स तेजी से कम हो जाते हैं और कैंसर का खतरा नहीं रह जाता।ऑटोफैगी की प्रक्रिया के रुकने पर मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है।
आज डॉक्टर भी संतुलित भोजन की सलाह देते हैं और अच्छी सेहत के लिए सप्ताह में एक दिन भूखे रहने या फिर फलाहार की बात करते हैं. उपवास से पेट से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है. कहा भी गया है कि पेट ठीक, तो सब ठीक।।
लेकिन आज जिन विषयों पर आधुनिक विज्ञान रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, उन विषयों पर हमारी सनातन संस्कृति के ऋषि-मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व शोध करके वेद व शास्त्रों में वर्णित कर दिया था।
दुर्भाग्य से हमने अपनी सनातन संस्कृति के वेद शास्त्रों का सही उपयोग नहीं किया। यदि हम अपने वेद शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन की दशा व दिशा तय करते तो शायद ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी होता..!
प्राचीन काल से ही हमारे प्रत्येक वेद शास्त्रों में उपवास की बड़ी महिमा बताई गई है। मौसम परिवर्तन होने के साथ ही चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के उपवास, प्रत्येक महीने में दो एकादशी व्रत, इसी श्रृंखला में हमारी संस्कृति में अनेक व्रत व उपवास का प्रावधान बताया गया है। ये व्रत उपवास व्यक्ति के पूरे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, उसके साथ-साथ मन को भी संयमित व पवित्र बनाते हैं व्यक्ति को आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करते हैं।।
15-15 दिन के अंतराल पर पड़ने वाला एकादशी का व्रत इस ₹आटोफैगी₹ विधि के लिए काफी उत्तम है। और वैसे भी सनातन शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। अतः स्वास्थ्य व अध्यात्म दोनों ही दृष्टि से इस व्रत का पालन करना चाहिए।

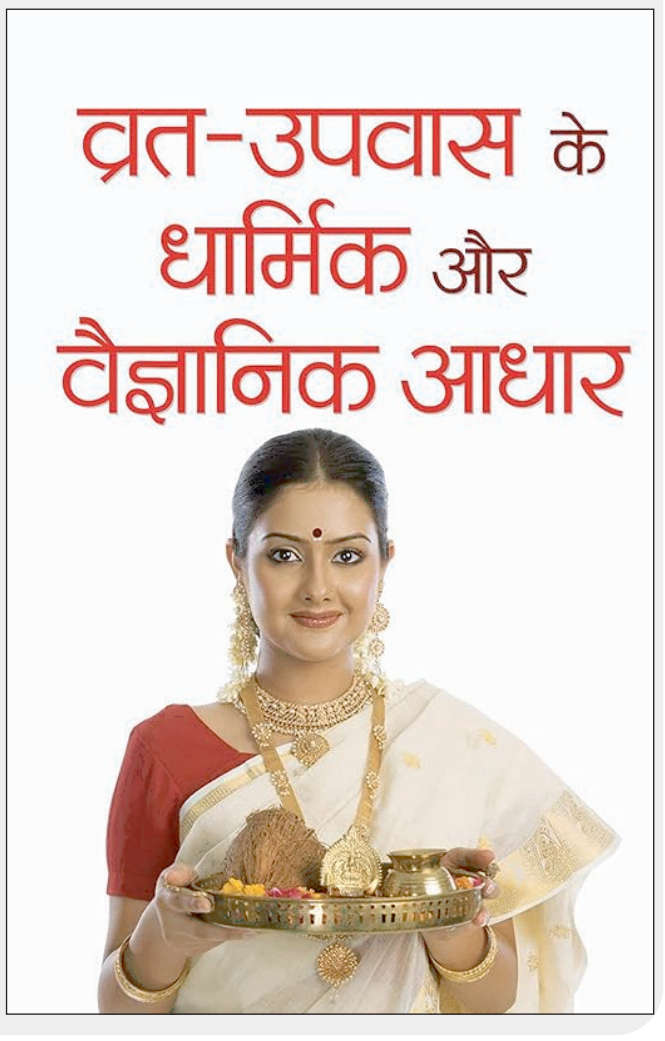

पीरियड्स में दिखे ये 5 गंभीर लक्षण तो समझ लें शुरू हो चुकी है ये खतरनाक बीमारी, इग्नोर करना पड़ सकता है भारी

एंडोमेट्रियोसिस तब होता है, जब गर्भाशय की परत की तरह दिखने और काम करने वाला ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है. इसके बेहद ही कॉमन लक्षणों में दर्द भरा पीरियड्स शामिल है. पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होती है. एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके लक्षणों और इलाज के बारे में जानें.

कई ऐसी बीमारियां हैं, जो टीनएजर्स बच्चों को भी हो सकती हैं. उन्हीं में से एक है एंडोमेट्रियोसिस (**Endometriosis**). एंडोमेट्रियोसिस तब होता है, जब गर्भाशय की परत की तरह दिखने और काम करने वाला ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है. गर्भाशय की परत (**Uterus Lining**) को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। कई बार ये टिशू ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस की बाहरी सतह, लिगामेंट्स जो गर्भाशय को सपोर्ट करते हैं, ब्लैडर आदि में भी बढ़ जाते हैं. आखिर क्या है एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण, कारण और इलाज, जानते हैं यहां.

एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण (Symptoms of Endometriosis)

किड्सहेल्थ डॉट ओआरजी में छपी एक खबर के अनुसार, एंडोमेट्रियोसिस के बेहद ही कॉमन लक्षणों में दर्द भरा पीरियड्स होना शामिल है. गर्भाशय के बाहर टिशू में वृद्धि होने के कारण पीरियड्स के दौरान ये सूज जाती है. रक्तस्राव होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एंडोमेट्रियम में होता है. जब खून को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है तो वह फंस जाता है. इससे आसपास के क्षेत्रों में जलन होती है. दर्द होता है. समय के साथ, निशान भी बन सकते हैं. एंडोमेट्रियोसिस के अन्य लक्षण निम्न हैं-
-हेवी पीरियड्स
-पीरियड्स में बड़े ब्लड क्लॉट्स निकलना
-पेल्विक या फिर कमर दर्द होना
-पेशाब करते समय दर्द होना
-डायरिया, कब्ज होना
-टॉयलेट में दर्द या खून निकलना
-गर्भ धारण न कर पाना

एंडोमेट्रियोसिस का इलाज (Treatment of Endometriosis)

अलग-अलग टीनएज लड़कियों में अलग-अलग लक्षण नजर आते हैं. पीरियड्स के दौरान दर्द होना कॉमन है. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण और समस्याएं एंडोमेट्रियोसिस के ही कारण हो रहे हों. ऐसे में इस कंडीशन को डायग्नोस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. डॉक्टर सवाल-जवाब और फिजिकल एग्जाम, अल्ट्रासाउंड के जरिए इस रोग का पता लगाने की कोशिश करते हैं. साथ ही कई बार एमआरआई स्कैन की भी जरूरत पड़ती है. जांच में एंडोमेट्रियोसिस होने का पता चलता है तो सबसे पहले दवाओं से दर्द को कम किया जाता है. यदि लक्षण गंभीर हैं या चिकित्सा उपचार के 3-6 महीनों में भी सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सिफारिश कर सकते हैं.

घर पर दर्द कम करने के लिए करें ये काम (How to reduce pain at home)

– हीटिंग पैड या हीट पैच से पेट दर्द को कम कर सकते हैं. गर्म पानी से स्नान करें.
-पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने से क्रैम्प को दूर कर सकते हैं.
-पेट के निचले हिस्से और कमर को मसाज करने से दर्द से छुटकारा मिल सकता है.
-पीरियड्स जिस सप्ताह में होने वाला है, उस दौरान अधिक आराम करने से पीरियड मूड चेंज से बचाव होगा.
-अपनी डाइट में अधिक फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन आदि शामिल करें, इससे पीरियड ब्लोटिंग और दर्द कम होगा.
-पीरियड्स ब्लोटिंग से रहते हैं परेशान तो पानी खूब पिएं.
-रिलैक्स होने के लिए मेडिटशन, योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लें.

लोकसभा चुनाव से पहले इंडी एलाइंस की बड़ी जीत, चंडीगढ़ में आप-कांग्रेस का बना मेयर; सीएम केजरीवाल

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा ही चंडीगढ़ के मेयर होंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई दी और कहा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है

नई दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। मेयर चुनाव में हुए धांधली मामले की सुनवाई करने के बाद शीर्ष अदालत ने फिर से वोटों की गिनती कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य किया गया था, उन्हें भी मान्य माना जाएगा।

कुलदीप कुमार बने चंडीगढ़ के मेयर

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर फैसला सुनाते आदेश दिया कि आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार टीटा ही चंडीगढ़ के मेयर होंगे।

केजरीवाल ने दी बधाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप कुमार को मेयर बनने पर बधाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, ₹कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। INDIA गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।

AAP ने लगाया था धांधली का आरोप

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 12 के मुकाबले 16 मतों से हराकर मेयर चुनाव जीत लिया था। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी (Returning Officer) ने कांग्रेस और आप के आठ वोट को अवैध ठहरा दिया था। इसके बाद आप पार्षद कुलदीप कुमार ने गलत तरीके से आठ मतों को अवैध ठहराने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेयर चुनाव पर सवाल उठाए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मतगणना के वीडियो में पीठासीन अधिकारी के आचरण को देखकर कहा था कि वह मतपत्रों को विरूपित करता दिख रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है।

"भाजपा चुनाव जीतती नहीं, चोरी करती है"

सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद चंडीगढ़ का मेयर अब INDI गठबंधन से होगा। इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत आखिरकार संविधान और लोकतंत्र की हुई।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद चंडीगढ़ का मेयर अब INDI गठबंधन से होगा। इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत आखिरकार संविधान और लोकतंत्र की हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत शुक्रिया कहा।

अरविंद केजरीवाल ने इस जीत को INDIA की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि भाजपा वालों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 36 में से आठ वोट चोरी कर लिए। यह वोट का 25 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि देश में 90 करोड़ वोट हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर भाजपा उसमें 25 प्रतिशत वोट चोरी करेगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुना तो था कि भाजपा वाले चोरी करते हैं, लेकिन आज इनका सबूत भी मिल गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी।

370 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस दिखा रही भाजपा

उन्होंने कहा कि भाजपा 370 सीटों को जीतने का आत्मविश्वास दिखा रही है। ये लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी, ये कह रहे हैं कि लोगों की जरूरत नहीं है। ये कहां से आएंगी 370 सीटें। ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये चुनाव चोरी करते हैं।

भाजपा को बेनकाब कर दिया

चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इन लोगों को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराया जा सकता है, एकता और अच्छी प्लानिंग से हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों की भी जीत हुई और पूरे देश की जीत हुई। भाजपा ने इस चुनाव और इसके परिणाम को चोरी कर लिया था।

आरोप लगाया कि भाजपा वाले पहले ईवीएम में धांधली करते हैं, फिर भी हार जाएं तो खरीद फरोख्त, डराने धमकाने और सत्ता व अधिकारों के दुरुपयोग में लग जाते हैं।

गठबंधन पर क्या बोले केजरीवाल

लोकसभा में गगठबंधन पर कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत का दौर जारी है, जल्द ही घोषणा की जाएगी।

शारजाह के रास्ते काबुल जा रही थी 52 लाख की दवाएं, दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने पकड़ी; तीन भारतीय गिरफ्तार

दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 52 लाख की दवाएं मिली हैं। तीनों आरोपी भारतीय हैं जो शारजाह (सऊदी अरब) के रास्ते काबुल (अफगानिस्तान) जा रहे थे। तीनों आरोपियों की पहचान बासिद मुबाशिर जमाल और कैफी के रूप में हुई है। इन्हें शनिवार शाम को टर्मिनल-3 के चेक-इन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

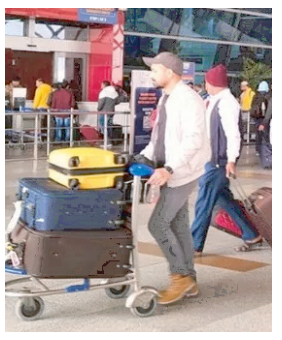

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 52 लाख की दवाएं मिली हैं। तीनों आरोपी भारतीय हैं, जो शारजाह (सऊदी अरब) के रास्ते काबुल (अफगानिस्तान) जा रहे थे। तीनों आरोपियों की पहचान बासिद, मुबाशिर जमाल और कैफी के रूप में हुई है। इन्हें शनिवार शाम को टर्मिनल-3 के चेक-इन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह के आधार पर इन्हें पहले पकड़ा गया था, जो एयर अरबिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या G9-466 से शारजाह के रास्ते काबुल जा रहे थे। उनके सामान को गहनता से जांच के लिए भेजा गया था।

एक्स-बीआईएस मशीन के जरिए उनके सामान की जांच करने पर सीआईएसएफ कर्मियों को संदिग्ध तस्वीरें नजर आईं। सीआईएसएफ ने कहा कि शारीरिक जांच करने पर लगभग 52 लाख रुपये मूल्य की विभिन्न प्रकार की दवाओं की भारी मात्रा का पता चला। पूछताछ करने पर यात्री इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं ले जाने के संबंध में सहायक दस्तावेज पेश नहीं कर सके। मामले की जानकारी सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और कस्टम अधिकारियों को दी गई।

प्रार्थना सभा में नहीं हुए शामिल तो हुई कार्रवाई, सेंट स्टीफंस कॉलेज के 100 छात्रों को परीक्षा देने से रोका

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephens College) के प्रथम वर्ष के 100 से अधिक विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा से निलंबित कर दिया गया है। विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के अनुसार असेंबली में अनुपस्थित रहने के कारण माता-पिता के साथ प्रधानाचार्य को मिलवाने में विफल रहने के बाद उन्हें दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephen's College) के प्रथम वर्ष के 100 से अधिक विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा से निलंबित कर दिया गया है। विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के अनुसार, असेंबली में अनुपस्थित रहने के कारण माता-पिता के साथ प्रधानाचार्य को मिलवाने में विफल रहने के बाद उन्हें दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया है। मामले में प्रधानाचार्य की ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। छात्रों ने प्रधानाचार्य को भेजे गए ईमेल में कहा कि 17 फरवरी को 100 से अधिक छात्रों को ईमेल आया, जिसमें उन्हें दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं से निलंबित करने की बात लिखी थी।

माता-पिता को प्रधानाचार्य से नहीं मिलवाया

ईमेल में इसका कारण कम उपस्थिति के कारण माता-पिता से प्रधानाचार्य को मिलवाने में विफलता बताया गया था। छात्रों ने ईमेल में कहा

कि उनके माता-पिता दिल्ली-एनसीआर में नहीं रहते हैं। इसलिए पूर्व प्रतिबद्धताओं, मीटिंग व वित्तीय कारणों से उनके माता-पिता के लिए अल्प सूचना में दिल्ली की यात्रा करना संभव नहीं था। विद्यार्थियों ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने उनके अभिभावकों के बिना प्रधानाचार्य से मीटिंग तय करने के उनके प्रयासों को भी अस्वीकार कर दिया।

ईमेल भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कॉलेज में संकाय के एक सदस्य द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाओं से निलंबन करने की आलोचना की है। उन्होंने ईमेल भेजने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है।

कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख संजीव ग्रेवाल ने कहा कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों में स्पष्ट रूप से बताए गए आधार पर ही परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में प्रार्थना सभा में अनुपस्थिति परीक्षाओं में बैठने से रोकने का आधार नहीं है।

दिल्ली के बाजारों की बदहाली पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा....

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने चिंता जताते हुए कहा है कि गत 100 वर्ष से अधिक से दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक वितरण केन्द्र है। दिल्ली के थोक व्यपार केन्द्रों से आगे बढ़ अब दिल्ली के बड़े खुदरा बाजारों करोलबाग कमला नगर लाजपत नगर दिल्ली कैंट विकास मार्ग कृष्णा नगर आदि में भी दुर्दशा बढ़ती जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली के थोक के साथ खुदरा बाजारों की घेराबंदी पर विपक्षी दल भाजपा ने दिल्ली की आप सरकार को निशाने पर लिया है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने चिंता जताते हुए कहा है कि गत 100 वर्ष से अधिक से दिल्ली देश का सबसे बड़ा थोक वितरण केन्द्र है। दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट और तुर्कमान गेट से सदर बाजार, ईदगाह, पहाड़गंज तक फैली पुरानी दिल्ली में हर उत्पाद की थोक मंडी स्थित है, जहां के व्यापारियों की तीन पीढ़ियों ने दिल्ली को ना सिर्फ व्यपार का विश्व केंद्र बनाया है बल्कि जन सेवा में भी बड़े मकाम स्थापित किये हैं।

पुरानी दिल्ली में नहीं हुआ सुधार काम

देश में कहीं भी कोई बाढ़ या तूफान या भूकंप त्रासदी हो पुरानी दिल्ली के अनाज, कपड़ा, टैंट या अन्य व्यपारी संगठन सहयोग में सबसे आगे रहे हैं। पर खेदपूर्ण है कि गत 75 साल से सरकारें आती जाती हैं पर पुरानी दिल्ली के व्यापारिक स्वरूप को स्वीकार कर इसमें व्यापारिक नागरिक सुधार के लिए किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। पहले, कांग्रेस और आज आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने खरबों रुपये का राजस्व देने वाली पुरानी दिल्ली के बाजारों को जानबूझकर अवैध बताया, ताकि व्यापारियों से चुनाव के समय चंदे की लूट खसोट भी की जा सके। उन्होंने ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज पूरी पुरानी दिल्ली की मंडियों में बिजली एवं इंटरनेट तारों का खतरनाक मकड़जाल है। सार्वजनिक शौचालय की भारी कमी है। जो हैं, वह गंदे हैं और गलियां टूटी है तो स्ट्रीट लाइट की कमी चोरी की संभावनाएं बढ़ाती हैं। इसी तरह ई रिक्शा ने शहर में चलना दूभर कर दिया है तो व्यपारिक क्षेत्र में लोडिंग अनलोडिंग प्रतिबंध व्यापार विरोधी हैं। दिल्ली के थोक व्यपार केन्द्रों से आगे बढ़ अब दिल्ली के बड़े खुदरा बाजारों करोलबाग, कमला नगर, लाजपत नगर, दिल्ली कैंट, विकास मार्ग, कृष्णा नगर आदि में भी दुर्दशा बढ़ती जा रही है।

आप LG से माफी मांगेंगे? भाजपा के निलंबित विधायकों से दिल्ली HC ने ऐसा क्यों कहा

भाजपा के निलंबित विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आप उपराज्यपाल से माफी मांगने को तैयार हैं। इन विधायकों को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने पर अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड किया गया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा है।

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के सात निलंबित विधायकों से पूछा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए उनसे माफी मांगने को तैयार हैं। विधानसभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला

राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा की बात है।

LG से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं- MLA

उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर से बात की। उन्होंने राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए मार्ग का भी सुझाव दिया। अगर सदस्य आएं और स्पीकर से मिलें और एलजी से माफी मांगें, तो पूरी बात रखी जा सकती है। इस पर विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि एलजी से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है।

क्यों निलंबित हुए थे भाजपा के सात विधायक

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा है। बता दें कि भाजपा के सात विधायकों को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के भाषण में गतिरोध पैदा करने के आरोप पर निलंबित किया गया है। सदन में हंगामे और नारेबाजी के चलते सातों विधायकों को सदन से निलंबित किया गया था।

निलंबन के खिलाफ HC पहुंचे थे BJP MLA

इसके बाद भाजपा विधायकों ने निलंबन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। भाजपा विधायकों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जयंत मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला उठाते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों को गलत तरीके से निलंबित किया गया है और ऐसा करके विधानसभा की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्रभावित हुआ है।

अपराध का VIDEO लीक होने पर संबंधित अफसर की होगी जवाबदेही, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चेतावनी

परिवहन विशेष न्यूज

कई बार इन सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं का वीडियो वायरल हो जाता है जो पुलिस के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि यदि आपराधिक घटनाओं का वीडियो वायरल होता है तो ऐसे वीडियो वायरल होने पर सम्बंधित डीसीपी और एसएचओ की जवाबदेही तय की जाएगी। बीते दिनों कई गंभीर आपराधिक घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गए थे।

नई दिल्ली। आए दिन दिल्ली में किसी न किसी अपराधिक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये वीडियो दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनते हैं और उसकी छवि भी धूमिल होती है। आपराधिक घटनाओं के वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय की है।

पुलिस पर लग जात हैं प्रश्न चिन्ह

दिल्ली में निगरानी के लिए लगाए गए दो लाख सीसीटीवी कैमरों में से आये दिन किसी न किसी में आपराधिक घटना की फुटेज कैद हो जाती है, जिसमें कई वारदात सनसनीखेज भी होती हैं। कई बार इन सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं का वीडियो वायरल हो जाता है, जो पुलिस के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। यह वायरल वीडियो दिल्ली पुलिस की सतर्कता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा देते है।

पुलिस कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश

इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को सख्त निर्देश दिए है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि यदि अपराधिक घटनाओं का वीडियो वायरल होता है, तो ऐसे वीडियो वायरल होने पर सम्बंधित डीसीपी और एसएचओ की जवाबदेही तय की जाएगी। हाल ही में जारी किए गए आदेश में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि बीते दिनों कई गंभीर अपराधिक घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गए थे।

VIDEO वायरल होने पर खतरे में आ जाती निजता

इससे एक तरफ जहां पीड़ित की निजता खतरे में पड़ती है, तो दूसरी तरफ आरोपित की शिनाख्त परेड कराना भी मुश्किल हो जाता है। वीडियो के लीक होने का सबसे बड़ा कारण है, जो सामने आया है, वह यह है कि वारदात के बाद स्थानीय पुलिस सहायता के लिए ऐसे फुटेज निकालती हैं, मगर कई बार इस पुलिस फुटेज प्रसार पर अपना नियंत्रण खो देती है।

इसलिए आपराधिक घटनाओं के वीडियो में से आरोपितों की ऐसी फोटो निकली जाएं जो उनका चेहरा दिखाती हों। ऐसे मामलों में जहां किसी अपराध को अंजाम दिए जाने का सीसीटीवी फुटेज पाया जाता है, यह सुनिश्चित करना संबंधित एसएचओ की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि कोई भी वीडियो क्लिप साझा न हो।

डीडीए ने दिल्ली के पार्कों में लगाए एक लाख ट्यूलिप, एलजी ने किया था 'फूलों का शहर' बनाने का वादा

एलजी वीके सक्सेना जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को फूलों का शहर बनाने का वादा किया था। इसीलिए एनडीएमसी क्षेत्र से परे सुंदरीकरण पर लगातार जोर दे रहे हैं। गत वर्ष 26 दिसंबर को नगर निकायों के बागवानी विभागों की एक बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि एमसीडी डीडीए आदि के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य क्षेत्रों में भी ट्यूलिप और अन्य सजावटी फूल लगाए जाएं।

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडभ्ए) ने पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न पार्कों में एक लाख ट्यूलिप लगाए हैं। यह फूल रोहिणी, द्वारका, आइएसबीटी कश्मीरी गेट, कर्मपुरा- रोहतक रोड, शालीमार बाग, महरौली, जीके और वसंत विहार जैसे क्षेत्रों में लगाए गए हैं।

दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी लगाए ट्यूलिप

पहले टयूलिप के फूल एनडीएमसी क्षेत्र में ही लगाए जाते थे। अबकी बार भी लुटियंस जोन में विभिन्न रंगों के चार लाख से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। एनडीएमसी से इतर पहली बार दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी टयूलिप लगाए गए हैं। दरअसल, एलजी वीके सक्सेना, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को "फूलों का शहर" बनाने का वादा किया था। इसीलिए एनडीएमसी क्षेत्र से परे सुंदरीकरण पर लगातार जोर दे रहे हैं। गत वर्ष 26 दिसंबर को नगर निकायों के बागवानी विभागों की एक बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि एमसीडी, डीडीए आदि के अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य क्षेत्रों में भी ट्यूलिप और अन्य सजावटी फूल लगाए जाएं।

इसके लिए डीडीए ने बांसेरा पार्क में 40 हजार, असिता ईस्ट, महरौली पुरातत्व पार्क और रोहिणी सेक्टर -10 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में नौ नौ हजार ट्यूलिप लगाए हैं। शहर को ट्यूलिप से सजाने के अलावा, एलजी ने फूलों के बल्बों को विदेशों से खरीदने के बजाय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय उत्पादकों से खरीदने पर भी जोर दिया है। इस कदम का उद्देश्य ट्यूलिप की लागत में कटौती करना है और स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने को लेकर हंगामा, दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र

यूपी पुलिस भारती एग्जाम को दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने मंगलवार को मोदीनगर तहसील पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें दोबारा परीक्षा कराने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। ऐसे में लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है।

मोदीनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा (UP Police Bharti Exam) को दोबारा कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र मंगलवार को मोदीनगर तहसील पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई अभ्यर्थियों के मोबाइल पर पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए थे। ऐसे में लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को मोदीनगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिसमें डीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस-2023 की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए गाजियाबाद जिले में 44 केंद्र बनाए गए थे। शनिवार और रविवार को दो-दो पाली में आयोजित परीक्षा में 92 हजार से अधिक परीक्षार्थियों में से करीब 20 हजार ने परीक्षा छोड़ दी। पाली दर पाली परीक्षार्थियों का प्रतिशत घटता रहा और पहले दिन पहली पाली में 86.58 प्रतिशत के मुकाबले दूसरे दिन अंतिम पाली में परीक्षार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत 77.49 प्रतिशत तक पहुंच गया।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना घोटाला : 90 और दुकानों की रजिस्ट्री की होगी जांच, नगर निगम के अफसरों पर भी गिरेगी गाज

परिवहन विशेष न्यूज

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत तत्कालीन जोनल टैक्सेशन अधिकारी दिनेश कुमार पर अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। नगर निगम गुरुग्राम की विजिलेंस विंग द्वारा उन सभी आरोपों की गहनता से जांच की गई है तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसमें नगर निगम के अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में वर्ष 2022 में हुए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना घोटाले में नगर निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है।

उस समय हुई तहबाजारी (नगर निगम) की 90 और दुकानों की रजिसट्रियों की फाइल निगम अधिकारियों द्वारा खंगाली जा रही है। लगभग एक सप्ताह में यह जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा। इस घोटाले में अधिकारियों के साथ -साथ क्लर्क स्तर के कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है।

क्या है मामला ?

बता दें कि एक जून 2021 की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत बीस साल यानी 31 दिसंबर 2020 तक निगम की दुकानों पर काबिज किरायेदारों को दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था।

इसके लिए गुरुग्राम निगम ने किरायेदारों से आवेदन मांगे थे। पांच से सात लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री कराने और घोटाला करने से संबंधित एक शिकायत शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजी गई थी।

10 मई 2022 को हुई थी शिकायत

नगर निगम गुरुग्राम की शहर में एक हजार से ज्यादा दुकानें थीं, जिनमें से कुछ दुकानों की रजिस्ट्री मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत हो चुकी है।

-रजिस्ट्री घोटाले की शिकायत विभाग को 10 मई 2022 को की गई थी।

निगम की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत के समय कुल 182 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी थी।

निगम की विजिलेंस विंग ने इन बिंदुओं पर की थी जांच की

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2020 (कट आफ डेट) के बाद के मालिकों के नाम भी कर दी गई।

तत्कालीन जेडटीओ (जोनल टैक्सेशन आफिसर) दिनेश कुमार पर अनियमितता के आरोप लगे थे और आरोप यह भी था कि उन्होंने निगम की भीमनगर की 42 नंबर दुकान (पहलवान ढाबा) की रजिस्ट्री नियम विरुद्ध अपने बेटे के नाम करवा दी। इस संबंध में नगर निगम की ओर से जेडटीओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निगमायुक्त कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी थी।

गड़बड़झाला उजागर होने के बाद दुकानों की रजिस्ट्री रोक दी गई और जांच के दौरान 12 केस और भी ऐसे पाए गए जिनमें कट आफ डेट के बाद के भी आवेदन लेकर रजिस्ट्री करवाने की तैयारी थी।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत तत्कालीन जोनल टैक्सेशन अधिकारी दिनेश कुमार पर अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। नगर निगम गुरुग्राम की विजिलेंस विंग द्वारा उन सभी आरोपों की गहनता से जांच की गई है तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इस योजना के तहत आरोपों में अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की भी गहनता से जांच विजिलेंस विंग द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. नरहरि सिंह बांगड़, निगमायुक्त गुरुग्राम।

दक्षिण हरियाणा की सीटों पर कमल खिलाने के लिए मंथन, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली ये जिम्मेदारी

दक्षिण हरियाणा की तीन सीटों पर कमल खिलाने के लिए भाजपा ने दो घंटे तक मंथन किया। दिल्ली में हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा को 370 सीटें जिताने और एनडीए को 400 पार कराने का लक्ष्य दिया है। क्लस्टर प्रभारी ग्रोवर ने पदाधिकारियों को अपने-अपने बूथों को और अधिक मजबूत करने के लक्ष्य के साथ-साथ बूथों पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया।

गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा के तीनों लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव, फरीदाबाद एवं महेंद्रगढ़-भिवानी में कमल खिलाने के लिए सोमवार को भाजपा ने प्रदेश कार्यालय गुरुकमल में मंथन किया। लगभग दो घंटे तक चली मंथन की अध्यक्षता क्लस्टर प्रभारी मनीष ग्रोवर ने की।

28 फरवरी को आयोजित होंगे सम्मेलन

28 फरवरी को तीनों क्षेत्र के भिवानी, नूंह एवं फरीदाबाद जिले में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तीनों सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शरीक होंगे। मंथन के दौरान क्लस्टर प्रभारी मनीष ग्रोवर ने सबसे पहले तीनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बारे में विधानसभा स्तर पर पदाधिकारियों से फीडबैक लिया।

बैठक में शामिल गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध कराई। जानकारी हासिल करने के बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 फरवरी को हरियाणा प्रवास पर रहेंगे। भिवानी में लोकसभा की बूथ समितियों की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

गुड़गांव लोकसभा की चुनाव संचालन और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक नूंह में होगी। फरीदाबाद में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होगा। ये तीनों कार्यक्रम 28 फरवरी को ही होंगे। तीनों कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा को 370 सीटें जिताने और एनडीए को 400 पार कराने का लक्ष्य दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन से कार्यकर्ताओं को नई उर्जा और नई ताकत मिलेगी।

हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य

ग्रोवर ने उपस्थित पदाधिकारियों को अपने-अपने बूथों को और अधिक मजबूत करने के लक्ष्य के साथ-साथ बूथों पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी-मनोहर सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का आग्रह भी किया। कार्यकर्ता हर बूथ पर घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें। गुड़गांव लोकसभा प्रभारी अजय गौड़, गुड़गांव लोकसभा संयोजक मनीष मित्तल, प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. बनवारी लाल, फरीदाबाद लोकसभा संयोजक विधायक दीपक मंगला, महेंद्रगढ़-भिवानी लोकसभा प्रभारी शंकर धूप्पड़, लोकसभा संयोजक विधायक लक्ष्मण यादव ने भी विचार रखे।

बैठक में गुरुग्राम जिलाध्यक्ष कमल यादव, रेवाड़ी जिलाध्यक्ष प्रीतम चैहान, नूंह जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, फरीदाबाद जिलाध्यक्ष राज कुमार बोहरा, पलवल जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, महेंद्रगढ़ जिलाध्यक्ष दयाराम आदि शामिल हुए।

ठेकेदार ने जलकल विभाग के अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, नगर आयुक्त से की शिकायत

आरोप है कि छह साल से जलकल विभाग के अधिकारी भुगतान को लेकर आश्वासन देते रहे लेकिन भुगतान नहीं किया बाद में फाइल ही गुम हो जाने की बात कहने लगे। उन्होंने मामले की शिकायत पूर्व नगर आयुक्त से की इसके बाद जांच होने पर फाइल तो मिल गई लेकिन अधिकारी उनके द्वारा कार्य किए जाने पर ही सवाल उठाने लगे।

गाजियाबाद। संभव कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को एक ठेकेदार ने जलकल विभाग के अधिकारियों पर 21 लाख रुपये हड़पने की साजिश का आरोप लगाया है। शक जताया है कि जो कार्य उनके द्वारा किया गया है, उसका भुगतान रकम की बंदरबाट करने के लिए किसी दूसरी फर्म को कर दिया गया है। इस मामले में जलकल विभाग के अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त ने जांच के लिए समिति गठित कर कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित को दिया है। शिकायतकर्ता हरिओम त्यागी ने बताया कि छह साल पहले नगर निकाय चुनाव होने से पहले उनको टेंडर के माध्यम से नेहरू नगर में सीवर लाइन डालने के लिए 11 लाख और नो लाख रुपये के दो कार्य जलकल विभाग से मिले थे, उन्होंने कार्य पूरा करने के बाद भुगतान के लिए फाइल जलकल विभाग के अधिकारियों को दी, जिस वक्त कार्यादेश जारी किया गया था उस वक्त अवर अभियंता दूसरा था और जब कार्य पूरा हुआ तो अवर अभियंता दूसरा था।

छह साल से भुगतान को लेकर देते रहे आश्वासन

आरोप है कि छह साल से जलकल विभाग के अधिकारी भुगतान को लेकर आश्वासन देते रहे, लेकिन भुगतान नहीं किया, बाद में फाइल ही गुम हो जाने की बात कहने लगे। उन्होंने मामले की शिकायत पूर्व नगर आयुक्त से की, इसके बाद जांच होने पर फाइल तो मिल गई, लेकिन अधिकारी उनके द्वारा कार्य किए जाने पर ही सवाल उठाने लगे। पीड़ित ने साक्ष्य के तौर पर तत्कालीन स्थानीय पार्षद द्वारा फर्म द्वारा किए गए कार्य की पुष्टि करता हुआ पत्र दिया गया, आरोप लगाया कि न तो उनका टेंडर रद करने का नोटिस दिया गया न ही कार्य रोकने का ही नोटिस दिया गया, जब कार्य उन्होंने पूरा करा दिया तो भुगतान के लिए छह साल से अधिकारी दौड़ा रहे हैं। शक यह भी जताया है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की धनराशि जलकल विभाग के अधिकारी हड़पने की साजिश कर चुके हैं, आरोप तो यह भी है कि जो कार्य उन्होंने कराया है उसका भुगतान दूसरी फर्म को कर रुपयों की बंदरबाद की जा चुकी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जनसुनवाई के दौरान पीड़ित को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच के लिए समिति बनाकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनते ही भ्रष्टाचार पर करारा वार कर भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

यह राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार की इच्छाशक्ति और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम रहा कि सरकार ने कार्यभार संभालते ही बड़ी पहल करते हुए प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी, 24 तक राज्य व्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया।

अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की समस्या किसी एक प्रदेश की नहीं होकर समूचे देश में नासूर की तरह फैलती जा रही है। देश के लगभग हर कोने से आए दिन अवैध खनन के समाचार देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में बजरी व अन्य खनिज के अवैध खनन और परिवहन के समाचारों के साथ ही बजरी माफिया के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं आम हैं। बेशकीमती खनिजों का अवैध खनन और सरकार के रवन्ना से अधिक खनन और परिवहन भी आम है। अवैध खनन गतिविधियों के चलते सरकारों को कई मोर्चों पर जूझना पड़ता है। एक तो अवैध खनन, ऊपर से खनन माफियाओं की खुले आम दादागिरी, सरकार को राजस्व का नुकसान और खनन सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं और खनिज परिवहन के दौरान छिपने छिपाने के चक्कर में लोगों की जान लेने का खेल अलग होता है। अवैध खनन गतिविधियों और खनन माफियाओं की दादागिरी के चलते सरकार को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर इसका हल निकालने के लिए सरकारों द्वारा ठोस प्रयास नहीं किये जाते और इसका कारण भी प्रेशर ग्रुपों का होना है। ऐसे में राजस्थान की नई नई भाजपा की भजन लाल शर्मा द्वारा काम संभालते ही अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाकर ठोस कार्यवाही की है वह वास्तव में वर्तमान राजनीतिक माहौल में साहसिक कार्य ही है। हालांकि सरकारों की इच्छाशक्ति हो तो कोई भी कदम मुश्किल भरा नहीं हो सकता। राजस्थान की सरकार की पहल को इसलिए भी सराहनीय माना जा सकता है कि बिना समय गंवाये सरकार ने अभियान चलाकर कार्यवाही करने का निर्णय किया और जनभागीदारी तय करने से परिणाम और भी बेहतर प्राप्त हो सके। यह अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रेरणास्पद हो सकता है।

यह राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार की इच्छाशक्ति और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम रहा कि सरकार ने कार्यभार संभालते ही बड़ी पहल करते हुए प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी, 24 तक राज्य व्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया। प्रदेशभर में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया, वहीं अभियान को सफल बनाने में जनभागीदारी भी तय की गई। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान केवल खाना पूर्ति बनकर नहीं रह जाये, इस कारण अवैध खनन की जड़ पर प्रहार करने पर जोर दिया गया। अभियान के दौरान अवैध खनिज परिवहन करते वाहनों की पकड़ा-पकड़ी तक ही सीमित नहीं रहकर स्रोत को खोजने और उस पर कार्यवाही करने पर बल देने के साथ मशीनों और उपकरणों को जब्त करने पर बल दिया गया। जिला कलक्टरों को पांच विभागों यथा माइंस, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग के संयुक्त अभियान के संचालन, मोनेटरिंग और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। इससे पुलिस व प्रशासन की सक्रिय भागीदारी भी तय हो सकी।

अभियान को आंकड़ों में समझा जाए तो अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के दौरान 2643 कार्यवाहियां की गईं, इसमें भी बड़े स्तर पर अवैध खनन स्थलों पर 613 कार्यवाहियां की गईं। पुलिस में 564 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इस अवैध खनन

गतिविधियों में लिप्त 264 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 12 करोड़ 62 लाख से अधिक का ढ़ाई लाख टन से अधिक अवैध भण्डारित खनिज जब्त किया गया। 54 एक्सक्वेटर, 69 जेसीबी, 6 क्रेन और 1773 वाहनों को जब्त किया गया। मौके पर ही 12 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया। इसके साथ ही गोपनीय सूचनाओं से प्राप्त जानकारी पर दूसरे जिलों के अधिकारियों की टीम को भेज कर कार्यवाही की गई और करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया गया। कई कार्यवाहियों में तो जिला कलक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे। सवाल आंकड़ों का नहीं है। सवाल सरकार के गुणगान का भी नहीं है अपितु सवाल सरकार की इच्छाशक्ति और माइंस विभाग की मशीनरी के सक्रिय होकर कार्यवाही करने का है और इतने कम समय में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से अन्य विभागों के साथ ही माइंस विभाग की मशीनरी ने काम किया वह सराहनीय है।

खास बात यह कि सरकार नई, मुख्यमंत्री नए, मुख्य सचिव नए, खान सचिव नए होने के बावजूद खनन माफिया के खिलाफ अभियान की चंद घंटों में ही इतनी चाक चोबंद कार्ययोजना तैयार की गई कि परिणाम आने पर अभियान की सफलता पर संदेह उठाने वालों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। इसे यों समझा जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली, जनवरी के पहले सप्ताह 1 जनवरी को नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्यभार संभाला। 10 जनवरी को आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में आनन्दी को खान सचिव लगाया गया और अगले दिन खान सचिव के कार्यभार संभालते ही यानी कि 11 जनवरी को देर शाम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि स्वयं खान मंत्री भी हैं, ने खान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अगले दिन 12 जनवरी को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 15 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश जारी कर दिए। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक तत्काल आयोजित कराने और जिला कलक्टर के निर्देशन में राज्य व्यापी अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जिला कलक्टरों के

> “ खास बात यह कि सरकार नई, मुख्यमंत्री नए, मुख्य सचिव नए, खान सचिव नए होने के बावजूद खनन माफिया के खिलाफ अभियान की चंद घंटों में ही इतनी चाक चोबंद कार्ययोजना तैयार की गई कि परिणाम आने पर अभियान की सफलता पर संदेह उठाने वालों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। इसे यों समझा जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली, जनवरी के पहले सप्ताह 1 जनवरी को नए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्यभार संभाला।

नाम जारी निर्देशों में चैक लिस्ट भी जारी की। मांइस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी माइंस सचिव आनन्दी ने संभाली और पूरी मशीनरी चंद घंटों में ही एक्टिवेट हो गई। शासन सचिव माइंस स्तर पर मोनेटरिंग के साथ ही मुख्यालय उदयपुर में अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस को समन्वयक प्रभारी बनाया गया। अभियान में जनभागीदारी तय करने के लिए 24 गुणा 7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और एसएमई स्तर के अधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष का अलग से मोबाइल नंबर भी जारी किया गया जिस पर प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे में कार्यवाही के निर्देश देते हुए प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की प्रभावी मोनेटरिंग सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही उच्च स्तर पर गोपनीय तरीके से प्राप्त शिकायतों/जानकारी पर गोपनीय तरीके से अन्य स्थानों से अधिकारियों की टीम भेज कर कार्यवाही की गई, जिसके भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सफल अभियान चलाकर उस आम मिथक को भी तोड़ दिया है जिसमें सरकार की अभियानों के प्रति गंभीरता को लेकर प्रश्न उठाया जाता है। बल्कि कहना यह चाहिए कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमैंट में काम होता है, ठीक उस तरह से प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान संचालित किया गया और आमजन में सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को सिद्ध कर दिया। लाख आरोप प्रत्यारोप लगाए जाये पर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभियान को सफल बनाने में खान विभाग की टीम ने जिस तरह से सरकार की मंशा और इच्छाशक्ति को अमलीजामा पहनाया है वह भी सराहनीय है। अभियान समाप्त हो गया है पर अभियान की स्प्रिट यानी की भावना कि अवैध खनन गतिविधियां नहीं होने देनी है, इसके लिए मशीनरी को चाक चौबंद होना पड़ेगा तभी अभियान अपने उद्देश्यों में कामयाब हो सकेगा।

अवैध खनन गतिविधियों और खनन माफियाओं से लगभग सभी प्रदेशों की सरकारें दो चार हो रही हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार का यह अभियान अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इससे यह साफ हो गया है कि सरकारों की इच्छाशक्ति हो तो फिर प्रभावी कार्यवाही आसानी से की जा सकती है। देश प्रदेशों के खनिज संपदा को खनन माफियाओं से बचाने, खनन माफियाओं के कारण आये दिन कानून व्यवस्था की समस्या से दो चार होने से राहत पाने और सरकारी राजस्व की छीजत को रोकने के लिए राज्य सरकारों को आगे आकर सख्त कदम उठाने ही होंगे। राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर ठोस प्रयास करने ही होंगे। राजस्थान की सरकार ने इसकी भूमिका तैयार कर दी है, खनिज संपदा संपन्न प्रदेश इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं।

पुरानी कार को अच्छी कीमत में बेचने के लिए ध्यान रखें ये बातें, खूब होगा बेनिफिट!

पुरानी कार को अच्छी कीमत में बेचना एक मुश्किल टास्क होता है। इसी वजह से कार मालिकों को उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो आपको पुरानी कार के लिए भी अच्छी कीमत मिल सकती है। यहां बताने वाले हैं कि पुरानी कार की रीसेल वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए।

नई दिल्ली। नई गाड़ी खरीदना बहुत लोगों के लिए सपना होता है और जो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं वह सोचते हैं कि कुछ सालों बाद उनकी पुरानी कार की अच्छी वैल्यू (Resale Value) मिल जाए। लेकिन अधिकतर लोगों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है।

लेकिन अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है तो आपको पुरानी कार के लिए भी अच्छी कीमत मिल सकती है। यहां बताने वाले हैं कि पुरानी कार की कीमत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए।

समय पर कराएं पर सर्विस

किसी भी पुरानी गाड़ी को अच्छे दाम में सेल करने के लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आप उसका पूरा ख्याल रखें। कार की समय पर सर्विसिंग न सिर्फ गाड़ी की सेहत के लिए अच्छी होती है बल्कि उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ाने में भी मदद करती है।

केबिन का ख्याल रखना

जब कोई ओल्ड कार खरीदता है तो वह हर पैमाने पर उसे चेक करता है और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको पुरानी कार के लिए अच्छी कीमत मिले तो उसके केबिन का खास ख्याल रखना चाहिए।

कार के केबिन को वैक्यूम करने से गंदगी और मलबे को हटाने में मदद मिलती है जो गंध पैदा कर सकते हैं। अपनी कार की महक को अच्छा बनाए रखने के लिए केबिन एयर फ्रेशनर का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

सफाई का रखें ध्यान

हर किसी के लिए कुछ न कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं और उन्हीं में से किसी भी पुरानी कार के लिए साफ-सफाई होती है। इसलिए आपको उसे बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ कार की रिसेल वैल्यू बढ़ती है बल्कि वह अधिक टिकाऊ भी बन जाती है।

सर्विस हिस्ट्री रखें मेंटेन

जितना जरूरी कार की समय पर सर्विस कराना है उतना ही जरूरी कार की सर्विस हिस्ट्री का हिसाब किताब रखना है। कार के सर्विस शेड्यूल को बनाए रखना वाहन मालिक के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कार की रिसेल वैल्यू बढ़ाने में अहम रोल निभाता है।

अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी

एक्सेसरीज का कार की रिसेल वेल्यू बढ़ाने में अहम रोल होता है। यदि आप गाड़ी में ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम इत्यादि लगाकर रखते हैं तो इसे खरीदने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और गाड़ी के सेल होने की संभावना बढ़ जाती है।

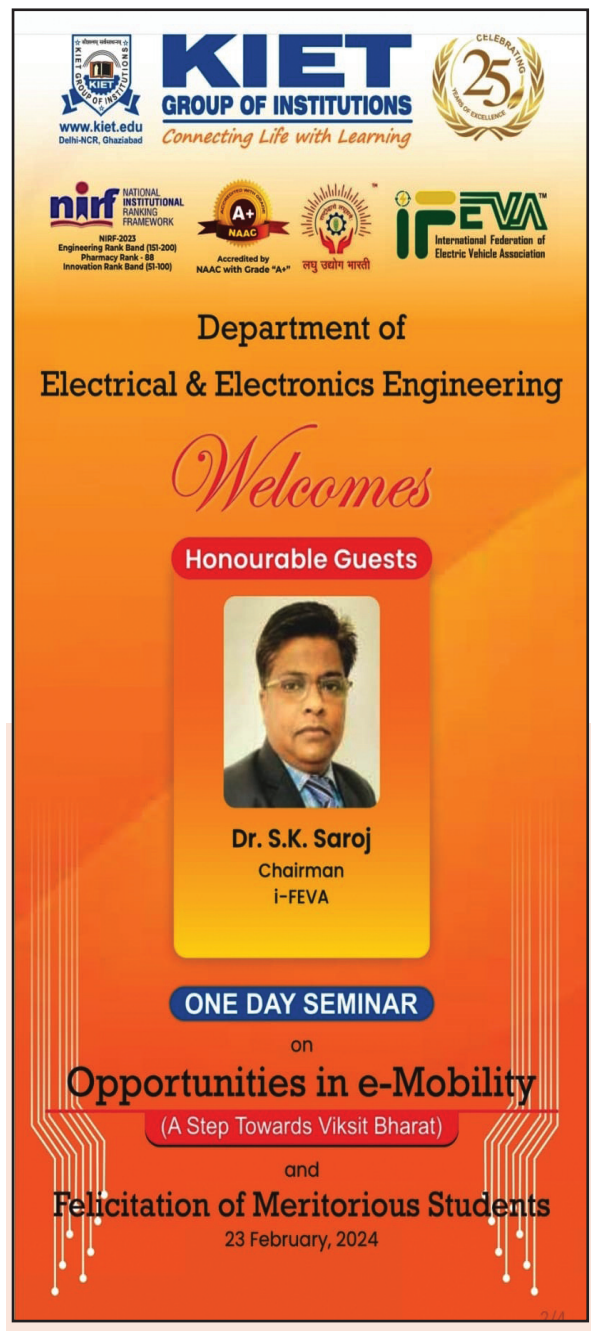

भारत में जल्द वापसी करेगी यामाहा RX100, इस नए अपडेट के साथ लेगी एंट्री

यामाहा प्रसंशकों के लिए खुशखबरी! कंपनी जल्द ही यामाहा RX100 भारत में नए इंजन के साथ वापस लाने का विचार कर रही है। हालांकि यामाहा ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यामाहा ने मार्च 1996 में इस मोटरसाइकिल का उत्पादन बंद कर दिया था। मगर अब कंपनी भारत में इस बाइक के साथ वापसी करने की तैयारी में है।

नई दिल्ली। भारतीय मार्केट में यामाहा ने अपना बहुत नाम बनाया है। खासकर यामाहा RX100 जिसे कंपनी ने की बेहतरीन मोटरसाइकिलों में से एक में गिना जाता है। इसने भारतीय बाजार के साथ-साथ लाखों भारतीयों दिलों पर राज किया। यहां तक कि इसके बंद होने के बाद भी लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता जारी रही है।

आपको बता दें कि इस दोपहिया वाहन निर्माता ने मार्च 1996 में मोटरसाइकिल का उत्पादन बंद कर दिया था। मगर अब यह मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है।

नए इंजन के साथ आएगी बाइक

जैसा कि हम बता चुके है कि RX100 भारत में वापसी की तैयारी में है, जिसने बाइक लवर्स के उत्साह को बढ़ा दिया है।

उम्मीद है कि इसे RX नेमप्लेट के साथ ही पेश किया जाएगा, लेकिन इसके नाम को RX100 से अलग हो सकता है।

इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि इस अपकमिंग बाइक में शक्तिशाली 225.9 cc इंजन से मिल सकता है, जो 20.1 बीएचपी का पावर आउटपुट और 19.93 nm का पीक टॉर्क देगा।

यह भी पढ़ें - 2023 में सीएनजी वाहनों की बिक्री में हुआ तगड़ा इजाफा, इतने लाख व्हीकल हुए देश में रजिस्टर

कैसा होगा डिजाइन

डिजाइन और लुक की बात करें तो क्योंकि ये बाइक RX100 पर आधारित हो सकती हैं, इसलिए नए मॉडल में मूल मोटरसाइकिल से कुछ सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट होंगे।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसकी कीमत 1.25 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी।

जैसा कि हम जानते हैं कि यामाहा RX100 अपने चिकने और हल्के डिजाइन के लिए जानी जाती है।

इसके साथ ही ये अपनी पावर के कारण भी लोकप्रिय थी। ऐसे में चार-स्ट्रोक मॉडल में उन स्टैंडर्ड को फिर से बनाने के लिए, मोटरसाइकिल को कम से कम 200cc के विस्थापन वाला इंजन लाना होगा।

यही कारण है कि इस बार यामाहा एक बड़े इंजन के साथ मोटरसाइकिल को लाने की तैयारी में है।

मारुति सुजुकी ने पूलकर, चार्ज हब और स्मार्ट चार्ज को कराया पेटेंट; चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने की है प्लानिंग

मारुति सुजुकी ने Poolkar Charge Hub और Smart Charge को पेटेंट कराया है। पेटेंट फाइलिंग से पता चलता है कि इन दिनों कंपनी खुद का चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर फोकस कर रही है। जिसको कथित तौर पर मारुति सुजुकी चार्ज हब के नाम से पेश करेगी। कंपनी का प्रयास है कि देश में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएं।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इन दिनों भविष्य को लेकर कई रणनीतियां बना रही है। इसी सिलसिले में मारुति ने पूलकर, चार्ज हब और स्मार्ट चार्ज जैसे नामों को पंजीकृत कराया है। जिससे की ग्राहकों के बीच निर्माता से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आइए इस खबर के बारे में जान लेते हैं।

Poolkar, Charge Hub और Smart Charge को कराया पेटेंट

पेटेंट फाइलिंग से पता चलता है कि इन दिनों कंपनी खुद के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर फोकस कर रही है। जिसको कथित तौर पर 'मारुति सुजुकी चार्ज हब' के नाम से पेश करेगी। कंपनी का प्रयास है कि देश में अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएं। हालांकि मारुति सुजुकी ने आधिकारिक तौर पर इन अटकलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह कदम इलेक्ट्रिक और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है।

Maruti Suzuki eVX

इसके अलावा वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सुजुकी ने पहली बार eVX को जनवरी 2023 में ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया था। इसके बाद एक बार फिर से जापान मोबिलिटी शो 2023 में इसकी झलक देखने को मिली थी।

कब होगी लॉन्च?

मारुति सुजुकी eVX ब्रांड द्वारा निर्मित पहली इलेक्ट्रिक कार होगी और उम्मीद है कि eVX को 2024 के अंत तक भारतीय बाजार के लिए लॉन्च किया जाएगा। eVX को कई बार भारत में परीक्षण करते हुए भी देखा गया है। जिसमें इसके डिजाइन और रेंज के बारे में जानकारी मिली है।

Two-Wheeler सेगमेंट में इस स्कूटर के दीवाने हुए ग्राहक, सिर्फ एक महीने में खरीदे इतने लाख यूनिट

दोपहिया सेगमेंट में बिक्री के मामले में एक स्कूटर को ग्राहकों ने खूब तरजीह दी है। इस स्कूटर की बिक्री में 33.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी 2024 में होंडा एक्टिवा स्कूटर की 1.73 लाख यूनिट की बिक्री हुई है। जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान ये आंकड़ा बहुत कम था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। देश का दोपहिया सेगमेंट हमेशा ही लोगों के बीच डिमांड में रहता है। इस सेगमेंट में आने वाले व्हीकल्स को ग्राहकों के द्वारा खूब तरजीह दी जाती है। अब जनवरी माह में एक स्कूटर की जमकर खरीदारी की गई है। इस स्कूटर की बिक्री में साल-दर-साल के हिसाब से 33.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जमकर हुई Honda Activa की खरीददारी

जिस स्कूटर को ग्राहकों के द्वारा जमकर पंसद किया गया है वह Honda Activa है। जिसकी जनवरी 2024 में 1.73 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है। साल-दर-साल के हिसाब से इसे देखा जाए तो निर्माता ने इसकी बिक्री में 33.66 की अच्छी वृद्धि दर्ज की है।

पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान होंडा ने भारतीय दोपहिया बाजार में 1.30 लाख स्कूटर की बिक्री की थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 1.73 लाख के भी पार पहुंच गया है। यानी करीब 43 हजार स्कूटर की अधिक बिक्री हुई है।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इस स्कूटर का जलवा

वहीं, टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे अधिक बिक्री वाले स्कूटर की बात करें तो वह जनवरी 2024 में Ola S1 रहा है। रिटेल सेल के मामले में 76.73 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। इस अवधि में ओला इलेक्ट्रिक ने 32,252 यूनिट्स की बिक्री की है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 18,353 यूनिट्स थीं।

अन्य स्कूटर की स्थिति

स्कूटर	जनवरी 2024	जनवरी 2023
होंडा एक्टिवा	1,73,760	1,30001
टीवीएस जुपिटर	74,225	54,484
सुजुकी एक्सेस	55,386	45,597
ओला एस1 (रिटेल)	32,252	18,353

पॉलिटिकल फंडिंग पारदर्शी, साफ-सुथरी हो

डा. अश्विनी महाजन

इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है और उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। पर इस संबंध में जो पहली चीज विचार करने लायक है, वह यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को क्यों लाया गया था? राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गई धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है।

इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन-देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है। जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राजनीतिक दल पैसा जुटाते थे, उसमें भी पारदर्शिता का बड़ा अभाव था। साथ ही, यह भी समस्या थी कि जो लोग भारी मात्रा में नगदी दे रहे हैं, उनके पैसे का स्रोत क्या है, इसका पता लगा पाना असंभव था'

इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है और उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। पर इस संबंध में जो पहली चीज विचार करने लायक है, वह यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को क्यों लाया गया था? राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गई धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है। उन्हें जो पैसा चंदे या दान के रूप में मिलता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराएंगे। पहले जो धन बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से हासिल होता था, उसकी जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन नगदी चंदे के बारे में पारदर्शिता का पूरा अभाव था। यह तो स्थापित तथ्य है कि हमारे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में काले धन की मौजूदगी जमाने से रही है और इस समस्या के समाधान पर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है। काले धन की वजह से यह चलता रहा कि पैसा देने वाले राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों से बेजा फायदा उठाते रहे। यह स्थिति हमारी राजनीतिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इस पृष्ठभूमि में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाकर यह प्रयास हुआ कि काले धन की समस्या को रोका जाए, उसे हतोत्साहित किया जाए। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है और किसी पार्टी को दिया जा सकता है। एक निर्धारित समयावधि के अंदर पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेती थीं।

इस पद्धति में यह सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं था कि किस पार्टी को किस व्यक्ति या संस्था ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया है। इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन-देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है। जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राजनीतिक दल पैसा जुटाते थे, उसमें भी पारदर्शिता का बड़ा अभाव था। साथ ही, यह भी समस्या थी कि जो लोग भारी मात्रा में नगदी दे रहे हैं, उनके पैसे का स्रोत क्या है, इसका पता लगा पाना असंभव था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा जाए, तो आगे शायद अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में यह तो संभव है नहीं कि धन का कोई एक केंद्रीय संग्रहण हो और सभी दलों को उसमें से एक समान हिस्सा मुहैया कराया जाए। दलों की विचारधारा अलग-अलग है। मान लीजिए कि मुझे चंदा देना है और मैं समझ रहा हूं कि किसी दल की विचारधारा और कार्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित हैं तथा देश के लिए नुकसानदेह हैं, तो मैं उस दल को चंदा नहीं देना चाहूंगा। अगर सभी दलों को एक समान चंदा मिलेगा, तो पार्टी बनाना एक धंधा बन जाएगा। ऐसे में यह व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है कि वह किसी एक दल को चंदा दे या कुछ दलों में अपनी धनराशि को अपनी समझ से बांट दे। यह कई लोगों की समझ है और मैं इससे सहमत हूं कि चुनावी चंदे के मामले में नगदी का चलन नहीं होना चाहिए और चंदा हमेशा ऐसी व्यवस्था के तहत लिया और दिया जाए, जिससे उसके स्रोत के बारे सही जानकारी मिल सके। यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि पारदर्शिता के साथ यह पता चलना चाहिए कि किस दल को किस व्यक्ति या संस्था ने कितनी धनराशि दी है, तो यह कानून की एक व्याख्या है और इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सरकार ने नहीं स्वीकार करते हुए संसद में फिर से कानूनों को पारित किया।

साथ ही, ऐसे उदाहरण भी हैं, जब अदालती आदेशों के मुख्य बिंदुओं को स्वीकार करते हुए और कानून में उन्हें समाहित करते हुए संशोधित कानून पारित किए गए। चूंकि अभी सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पढने और उस पर विचार करने के लिए समय चाहिए, इसलिए हमें सरकार के पक्ष को विस्तार से सामने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों के अनुरूप वर्तमान व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, तो वह एक संशोधित प्रारूप संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन यह कार्य अभी तुरंत नहीं हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि देश कोई एक-दो दिन या वर्ष के लिए नहीं होता। राष्ट्र की यात्रा सतत होती है। इस यात्रा में व्यवस्थाएं बनती हैं, बदलती हैं और टूटती भी हैं। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मई में नई लोकसभा और सरकार का गठन हो जाएगा। इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अल्पकालिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो देश और सरकार को उसका सम्मान करना है, लेकिन यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि चुनाव में काले धन का प्रकोप जिस स्तर पर था, उससे निपटने की दिशा में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था एक प्रगतिशील कदम थी।

इसी सरकार के कार्यकाल में यह कानून बना था, इसलिए इसी सरकार को यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों और निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक संशोधित व्यवस्था लाई जाए? ऐसा तो अब नहीं हो सकता है कि हम पहले के काले धन वाले समय में लौट जाएं, जहां न तो पैसे के स्रोत का पता चलता था और न ही पैसा देने वाले के बारे में। आज भी हर चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग बड़ी मात्रा में नगदी की धरपकड़ करता है। पहले भी कई बार आयोग की ओर से कहा जा चुका है कि चुनावों में बाहर से पैसा आने के अंदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यवस्था या नियम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन बल का हस्तक्षेप न हो और स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव हों। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धनबल, बाहुबल, जाति आदि अधिक खतरनाक कारक हैं जो खुले तौर पर लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। राजनीतिक फंडिंग से संबंधित कानून में संशोधन करते समय, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों द्वारा नकद प्राप्तियों की पुरानी प्रणाली पर वापस न लौटा जाए, जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और यहां तक कि बाहुबल के खेल तथा अवैध धन और अनैतिक गतिविधियों से प्राप्त धन के उपयोग की अनुमति देगी।

संपादक की कलम से

संदेशखाली की दरिंदगी

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके के हालात को देख-सुन कर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पहले ही देखा, भोगा और अनुभव किया है। संदेशखाली पर जितनी रपटें और विश्लेषण सामने आए हैं, उनके मद्देनजर आश्चर्य होता है कि 2011 से वहां 'दरिंदों' के अत्याचार, यौन उत्पीडन और भूमि पर जबरन कब्जों के सिलसिले जारी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें झूठ करार दे रही हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि संदेशखाली में आरएसएस का अड्डा है और वही औरतों को उकसा और बरगला रहा है। यदि संघ किन्हीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आश्चर्य यह भी है कि संदेशखाली की औरतों पर सालों से अत्याचार, अनाचार किए जा रहे थे, लेकिन राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और भाजपा संसदीय प्रतिनिधिमंडल आदि की नींद एकसाथ 2024 में खुली है! अब प्रधानमंत्री मोदी भी 7 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, बंगाल जा रहे हैं, जहां वह महिलाओं की ही जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तमाम अभियान 'राजनीतिक' लगते हैं, क्योंकि सालों तक सभी खामोश और निष्क्रिय थे, लेकिन आज बंगाल में 'राष्ट्रपति शासन' तक की आवाजें मुखर हुई हैं। यहां तक कि जमीनी रपटें सामने आई हैं कि संदेशखाली की औरतों को तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बुलाया जाता था और रात भर उन्हें 'मनोरंजन' के लिए विवश किया जाता था। ऐसे कबूलनामे औरतों ने कैमरे के सामने कहे हैं, हालांकि चेहरे ढक कर वे बोली हैं, क्योंकि उन्हें 'अत्याचारी राक्षसों' का खौफ है। दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि शोषित और पीड़ित औरतों को, खुद को, तृणमूल की समर्थक और वोटर भी कहना पड़ रहा है। औरतों की पारिवारिक बची-खुची जमीनें भी छीन ली गई हैं और अब उन पर तृणमूल कांग्रेस के 'राजनीतिक गुंडों' के अवैध कब्जे हैं। अत्याचार और सामूहिक दुष्कर्म के यथार्थ कई पक्षों ने सामने रखे हैं, लिहाजा उन्हें खारिज करना आसान नहीं है। कमोबेश संवैधानिक पदासीन चेहरों को झूठा करार नहीं दिया जा सकता।

उनके भी सामाजिक दायित्व हैं। अब मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। आज सुनवाई में उसका फैसला क्या होगा, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। हमने कहा था कि ममता बनर्जी ने ऐसे हालात पहले देख और अनुभव कर रखे हैं। इस संदर्भ में सिंदुर और नंदीग्राम के आंदोलन याद आते हैं, जो टाटा मोटर्स के प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थे। तब ममता विपक्ष में थीं और आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। तत्कालीन वाममोर्चा सरकार और पार्टी समूह ने ममता पर जो हिंसक और जानलेवा हमले किए थे, उन्होंने बंगाल में 'वाम' के अंत की शुरुआत कर दी थी। आज 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है। ममता भी 'वाम' की तरह घमंडी और एकाधिकारवादी हैं। संदेशखाली में जो विरोध-प्रदर्शन उभरे हैं, उनमें शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सरीखे तृणमूल गुंडों की गिरफ्तारी की मांग गूंज रही है। शेख तब से 'भगोड़ा' है, जब उसके घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा था और हिंसक भीड़ ने जांच अधिकारियों को ही घायल कर दिया था। क्या यह संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जानकारी ही न हो कि उनका 'सिंडिकेट' कहां है? ममता-राज के दौरान तृणमूल के भीतर ही ऐसा सिंडिकेट बना दिया गया है, जो ज्यादातर हिंदू आबादी पर ही दरिंदगी दिखाते हैं। पुरुषों को जान से मार देने की धमकियां भी देते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसी सिंडिकेट ने भाजपा के खिलाफ 273 घटनाएं की थीं।

राय

घाटे की दुकानदारी

हिमाचल के बजटीय घाटे की दुकानदारी चला रहे सार्वजनिक उपक्रमों ने पुनः लुटिया इस कद्र डुबोई है कि इनके दोष कान खड़े कर रहे हैं। यह सिर्फ घाटा नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता का ऐसा अवांछित रिसाव है, जिसे तुरंत रोकना होगा। कुल 23 सार्वजनिक उपक्रमों में से तेरह ने 5143 करोड़ का घाटा परोस कर कई ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो पूछ रहे हैं, क्या इसी धरातल पर आत्मनिर्भर हिमाचल की कसम उठाई जाती है। आश्चर्य यह कि जहां संभावना है, वहीं घाटे को सिर पर चढ़ाया जा रहा है। घाटे के शिखर पर परिवहन निगम के 1966 करोड़, राज्य बिजली बोर्ड के 1824 करोड़, पावर कारपोरेशन के 690 करोड़ और ट्रांसमिशन कारपोरेशन के 373 करोड़ बता रहे हैं कि हमारी नीतियां, वित्तीय प्रबंधन और व्यवस्थागत खामियां किस तरह नोच रही हैं। जाहिर है एचआरटीसी को घाटे की आदत इसलिए नहीं पड़ी कि मेहनतकश कर्मचारियों ने कुछ गलत किया, बल्कि सियासी नेतृत्व ने इसकी क्षमता का खैरात समझकर उपयोग किया। परिवहन निगम की सुध लेने के बजाय इसे मरे हुए सांप की तरह किसी न किसी मंत्री के गले में डाल दिया जाता है, जबकि बदले में नए बस डिपो की बढ़ोतरी में कमोबेश हर सरकार ने घाटा बढ़ाया है। इसके मुकाबले निजी बसें कर अदायगी के बावजूद अपने खर्चों के माप तोल को लाभकारी स्थिति में बनाए रखती हैं। दूसरी ओर बिजली बोर्ड व इसके सहायक निगम घाटे का जंजाल इसलिए भी बुन रहे हैं, क्योंकि मुफ्त की बिजली अब ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की हैसियत को दुबला ही करेगी। हैरान तो पर्यटन विकास निगम का 127 करोड़ का घाटा भी कर रहा है। जिस क्षेत्र के माध्यम से हिमाचल आत्मनिर्भर होने की सौगंध खाता रहा है, उसके बाजुओं पर विराजित सरकारी निगम की ऐसी दयनीय हालत का गुण-दोष निकालते हुए कब तक सरकारी होटलों का विनिवेश होता रहेगा।

सरकारी क्षेत्र के पास बेहतरीन साइटस, संपत्तियां और विश्वसनीय के बावजूद अगर घाटा है, तो यह घपला है। घाटे में घपले के किरदार को पकडने के बजाय नित नई संपत्तियां ऐसी जगह जोड़ी जा रही हैं, जहां कायदे से इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए नूरपुर में दो बार सरकारी निवेश से पर्यटन निगम की इकाइयां अगर शून्य हुईं, तो इसकी वजह नालायकी व सियासी सोच है। धर्मशाला में क्रिकेट व अन्य कारणों से होटलों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के अनुरूप खुद को सशक्त किया, जबकि इसके मुकाबले टूरिज्म कारपोरेशन की चार संपत्तियां खुद को परिमार्जित ही नहीं कर पाईं। विडंबना यह है कि मिल्क फेडरेशन सत्रह करोड़ का घाटा उठा कर भी उपभोक्ताओं की मांग का सामना नहीं कर पा रही। पड़ोसी राज्यों के दुग्ध उत्पाद अगर हिमाचल न आएं, तो हमारी चाय और कड़वी हो जाएगी, लेकिन हिमाचल मिल्क फेड आज तक वेरका, वीटा या मदर डेयरी से उपभोक्ता जरूरत को समझ नहीं पाया। यह दीगर है कि सरकार दूध खरीद तथा डेयरी उत्थान की घोषणा में वर्तमान बजट का आश्वासन दे रही है, फिर भी यह सोचना होगा कि मिल्क फेड जैसे सार्वजनिक उपक्रम क्यों अपनी गुणवत्ता से उपभोक्ता जरूरतों का लाभकारी बाजार खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल में घाटे के वही उपक्रम हैं, जिनके जरिए राज्य के संकल्प तथा आत्मनिर्भरता के कदम मुकम्मल होंगे। ऐसे में निजी निवेश ही एक मात्र सहारा बचता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, सेवा क्षेत्रों तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में निजी निवेश को अगर प्रेरित-प्रोत्साहित किया जाए, तो कहीं अधिक आय के संसाधन पैदा होंगे। घाटे की व्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों में धन व्यर्थ करने से कहीं अच्छा होगा कि इनमें से अधिकांश का विनिवेश किया जाए या मौजूदा प्रबंधन प्रणाली का व्यावसायीकरण करते हुए इन्हें राजनीतिक प्राथमिकताओं का खिलौना न बनाया जाए।

'जन रथ' के सहारे 'राम रथ' को टक्कर

लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत कांग्रेस के पास ऐसे बजटीय प्रावधानों के हथियार होंगे जो प्रदेश के लाखों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कांग्रेस इन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए'

हिमाचल प्रदेश के इस वर्ष के बजट के अवलोकन के पश्चात इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से उपजी लोकप्रियता के रथ पर सवार भाजपा के चुनावी रथ के पहियों को चुनावी दलदल में घसीटने की पूरी तैयारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता, जो गांवों में रहती और सीधे तौर पर कृषि, बागवानी और मनरेगा के साथ जुड़ी है, उन्हें इस वर्ष के बजट में कुछ 'मुफ्त' में न देकर उनकी आर्थिकी को संबल बनाने के जो उपाय किए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आने वाले समय में भुना पाती है तो वह निश्चित रूप से भाजपा को चारों लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में हो जाएगी जो अब तक नहीं दिख रही है।

प्रदेश में अगर किसी एक कार्य से सबसे अधिक लोग जुड़े हैं, तो वह है 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना', अर्थात मनरेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 75 लाख की कुल जनसंख्या में से 27.7 लाख लोग मनरेगा श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं जिनमें से 14 लाख 50 हजार लोग मनरेगा में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इनमें से लगभग 9 लाख 42 हजार (65 प्रतिशत) महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को मनेरगा की दिहाड़ी को 224 से 240 रुपए और अब इसे बढ़ाकर 300 रुपए करके प्रदेश के 27 लाख 70 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार के इस कदम से ग्रामीण अर्थिकी में बहुत ज्यादा मजबूती आएगी। एक वर्ष के कार्यकाल में 76 रुपए की दैनिक वृद्धि किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि इतना बड़ा वर्ग सरकार प्रदत्त लाभ से सीधे तौर पर लाभान्वित होगा। श्रमिकों के लिए यह वृद्धि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन आयोग के लाभों के मिलने के समान ही है। सरकार के इस फैसले से एक मनरेगा श्रमिक की मासिक आय 2880 रुपए बढ़ जाएगी। भाजपा चाहकर भी कांग्रेस को इसका लाभ लेने से रोक नहीं पाएगी क्योंकि पिछले अप्रैल में जब केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि के चलते प्रदेश सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 224 से 240 रुपए की थी, तब भी भाजपा नेता सोये हुए ही थे और अब तो 60 रुपए की वृद्धि में केंद्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इसे प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से देने वाली है।

वर्तमान बजट में एक और बड़ा प्रावधान जो आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर लेकर आएगा, वह है दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला और उसके लिए बजटीय प्रावधान। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जनवरी में दूध का खरीद मूल्य 32 से बढ़ाकर 38 रुपए कर दिया था जिसे अब बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के खरीद मूल्य को 47 से बढ़ाकर 55 रुपए करके इस क्षेत्र में नई क्रांति की आधारशिला रख दी है। पहले सरकार के इस फैसले का लाभ केवल मिल्क फेडरेशन से जुड़ी 1100 सोसाइटियों और उनके 49000 सदस्यों को ही मिलता था, पर इस बजट में सरकार द्वारा दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के पश्चात प्रदेश का प्रत्येक दुग्ध उत्पादक इसका लाभ उठा पाएगा। एक वर्ष में दूध के खरीद मूल्य में 13 रुपए की वृद्धि के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि एक दिन में 10 लीटर दूध का उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक की आय में सरकार के इस फैसले से 130 रुपए दैनिक और 1690 रुपए की मासिक बढ़ोतरी हो जाएगी। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश में 27 लाख के करीब गौवंश और 7 लाख के करीब महिश वंश है जो लगभग 17 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। जबकि प्रदेश की जरूरत करीब 19 लाख मीट्रिक टन है। दो लाख मीट्रिक टन का यह अंतर हमें दूसरे प्रदेशों से आयात करके पूरा करना पड़ता है। सरकार का यह फैसला दूध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

प्राकृतिक कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो निकट भविष्य में हिमाचल की आर्थिकी का मजबूत आधार हो सकता है। पूर्व राज्यपाल डा. देवव्रत आचार्य ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को साधारण किसान से जोडने की दिशा में गंभीर प्रयास किए थे, परंतु उनके गुजरात जाने के बाद सरकार के ढुलमुल रवैये और प्राकृतिक उत्पादों के विक्रय के लिए सशक्त ढांचा न होने के कारण प्राकृतिक खेती की अवधारणा धीरे-धीरे दम तोड़ रही थी। वर्तमान बजट में प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के फैसले ने इस क्षेत्र में नई जान डाल दी है। रासायनिक खादों के उपयोग से पैदा की गई गेंहू का समर्थन मूल्य 22.75 रुपए और मक्की का 20.90 रुपए है। समर्थन मूल्य का यह अंतर ही किसानों को प्राकृतिक कृषि की तरफ मोडने के लिए पर्याप्त है।

उपरोक्त वर्णित तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त इस बजट में अगर सक्षम हिमाचल का संकल्प कहीं दिखता है तो वह है सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। इसी वित्तीय वर्ष में 327 इलेक्ट्रिक वाहन और 10000 ई-टैक्सी परमिट का सुखद फैसला प्रदेश के पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करेगा, वहीं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ केंद्र सरकार के रूफ टॉप सौर ऊर्जा योजना के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर बजट में अतिरिक्त प्रावधान करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित को ही साधा है। इन कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस बजट में कुछ खास इसलिए भी नजर नहीं आता है क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री भी अपने पूर्वगामियों की भांति सबको खुश करने की नीति पर ही चलते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत कांग्रेस के पास निःसंदेह ऐसे बजटीय प्रावधानों के हथियार होंगे जो प्रदेश के लाखों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कांग्रेस की सरकार व संगठन इन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं, अन्यथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. बिंदल जैसे रणनीतिकार के नेतृत्व में राम रथ पर सवार व उत्साह से भरे हुए भाजपा संगठन से टक्कर लेना आसान नहीं है, खासकर तब, जब गारंटी मोदी खुद दे रहे हों।

प्रवीण कुमार शर्मा

सांड द्वंद्व

सांड कभी इनसान नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि इनसान जब चाहे सांड हो सकता है। उसके सांड होने में सबसे बड़ी बाधा उसकी अक्ल की है। पर मुझे ख़ुशी है कि जनता ने अपना दिमाग़ सरकार के पास गिरवी रख दिया है। जनता सरकार से बेरोजग़ारी, भुखमरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, फसलों के उत्पादन में आ रही कमी जैसे रोज़मर्रा के सवालों को छोडक़र सरकार की बनाई उस राम की भक्ति में हिलोरें मार रही है, जिसका मन्दिर उनकी समस्याओं के निवारण की तरह अधूरा पड़ा है। जिस तरह सरकार ने वनवासी राम को अधूरे मन्दिर में प्रतिष्ठित किया है, उससे इतना तो तय है कि राम का झोंपड़े में रहना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भले ही वह पक्का क्यों न हो। राम की तरह लोगों की समस्याएं अनसुलझी हैं, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है कि जनता अपनी समस्याओं के लिए आवाज़ उठा सकती है, जबकि जल समाधि ले चुके राम के पास अब यह सुविधा उपलब्ध नहीं। मुझे इस बात की तसल्ली भी है कि सडक़ों पर घूमने वाले चौपाए सांडों की तुलना में दोपाए सांडों की संख्या कई गुना अधिक है। ये सभी दोपाए सांड इस सरकार के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक देश में श्रीलंका की तरह हालात न बन जाएं। अभी तो सांड बने ये लोग पाँच सौ रुपये के सिलेंडर को पाँच हज़ार रुपये और सत्तर रुपये प्रति लीटर के डीज़ल-पेट्रोल को दो हज़ार रुपये लीटर में खरीदने की डींगें मारते दिखते हैं। मेरे जैसा नास्तिक भी भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करता है कि ऐसे हालात जल्दी बनें और मैं ऐसे सांडों, क्षमा करें अंधभक्तों को इस अग्नि परीक्षा से गुजऱते हुए देख सकूं। लेकिन पाठक परेशान न हों। सरकार के बनाए ट्रस्ट ने जिस ईमानदारी से मन्दिर का निर्माण करवाया है, उसी ईमानदारी के साथ सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए दिन-रात राम का निर्माण कर रही है। सरकार को पता है कि अगर जनता आर्थिक न्याय की मांग करे तो उसे किसी दूसरी चीज़ में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह ख़तरनाक हो उठती है। इसलिए सरकार समय-समय पर स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, नोटबंदी, काला धन, राष्ट्रवाद, गोरक्षा, ताली-थाली, स्वच्छता अभियान, पुलवामा, मालद्वीप, राम मन्दिर, काशी-मथुरा जैसे मुद्दे उठाती रहती है। परसाई जी भले कहते रहें, 'मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए। पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है।' पर मैंने सांडों को सारी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ते देखा है। सांड चौपाया हो या दोपाया। अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। कभी ख़बरों में नहीं पढ़ा कि चौपाया सांडों ने मिलकर आदमियों पर हमला किया हो। यही हाल दोपाया सांडों का है। जब किसान कृषि क़ानूनों के खिलाफ लड़े तो बाक़ी दोपाया सांड उन्हें आंदोलनजीवी, खालिस्तानी या देशद्रोही बोलकर उनका मज़ाक उड़ाते हुए तमाशा देखते रहे। यही हाल नए मोटर अधिनियम के विरुद्ध ट्रक चलाने वाले दोपायों का रहा। हालांकि इस नए अधिनियम की चपेट में सारे दोपाए आ रहे हैं। लेकिन आप परेशान न हों। हमारे देश की यह समृद्ध परम्परा काफी पुरानी है। प्लासी की लड़ाई में स्थानीय लड़ते सैनिकों के मुक़ाबले स्थानीय तमाशबीनों की संख्या कई गुणा अधिक थी। परसाई जी आगे कहते हैं, 'अकेले वही सुखी है जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लडऩी। उनकी बात अलग है। अनेक लोगों को सुखी देखता हूँ और अचरज करता हूं कि ये सुखी कैसे हैं। न उनके मन में सवाल उठते हैं न शंका उठती है।' दरअसल सरकार इस बात का पूरा प्रबंध करती है कि लोगों के मन में सवाल न उठे। इसलिए सरकारी शिक्षा की हालत उस लुगाई जैसी है, जिसे उसका ख़सम मारता भी है और रोने भी नहीं देता। सरकार शिक्षा पर उतना ही ख़र्च करती है, जितना उसके साँस लेने के लिए ज़रूरी है। हाँ, गऱीब चाहे तो अच्छी शिक्षा के सपने देख सकता है। फिलहाल कल्याणकारी सरकार ने सपनों पर जीएसटी नहीं लगाया है।

पीए सिद्धार्थ

उफ्फ! फिर से महंगा हुआ सोना, अब आपको खरीदने के लिए देनें होंगे इतने रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

सोना-चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यह एक तरफ निवेश का बेस्ट ऑप्शन है तो वहीं आभूषण के लिए भी काफी लोग इसे ही पसंद करते हैं। ऐसे में सोना खरीदने वालों के लिए बता दें कि आज एक बार फिर से सोना महंगा हो गया है। चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की क्या कीमत है?

नई दिल्ली। सोना और चांदी की कीमतो में नरमी का हर कोई इंतजार करता है। अगर आप भी सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो बता दें कि आज इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि सोना फिर से महंगा हो गया है। हालांकि, चांदी खरीदने वाले को राहत की खबर है क्योंकि इसकी कीमतों में आज नरमी देखने को मिली है।

आइए, देखते हैं कि आज आपके शहर में गोल्ड का रेट क्या है?

क्या है आपके शहर में गोल्ड का प्राइस

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,710 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,560 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,560 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,110 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,560 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,560 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,710 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,710 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 62,610 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,710 रुपये है।

नागपुर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,560 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,610 रुपये है।

पुणे में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,560 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 63,560 रुपये है।

बैंगलोर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,560 रुपये है।

अगले हफ्ते फिनटेक कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले सप्ताह वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने का फैसला किया है। इसका कारण ये है कि वे उन्हें नियामक मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए मनाएंगी। इसके अलावा सीतारमण फिनटेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और समस्याओं को सुनेंगी। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। प्रमुख फिनटेक कंपनी पेटीएम के सामने चल रही समस्या के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले सप्ताह वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने का फैसला किया है ताकि उन्हें नियामक मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए मनाया जा सके।

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अपने नो योर कस्टमर्स (केवाईसी) गाइडलाइन सहित कई नियामक मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियामक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा।

पेटीएम प्रमुख से मुलाकात करेंगी वितमंत्री

सूत्रों के माने तो सीतारमण अगले हफ्ते फिनटेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उनकी चिंताओं और समस्याओं को सुनेंगी। हालांकि वह उन पर नियामक मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देंगी क्योंकि वे आम जनता के पैसे से निपट रहे हैं। बैठक में रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सहित अन्य के वरिष्ठ अधिकारियों के होने की उम्मीद है।

15 दिनों के लिए बढ़ी समय सीमा

पिछले हफ्ते, आरबीआई ने ग्राहकों के साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के व्यापारियों को 15 मार्च तक अपने खाते अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी, जिससे संकटग्रस्त इकाई को जमा और क्रेडिट लेनदेन सहित अपने अधिकांश कार्यों को बंद करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।

पहले की समय सीमा 29 फरवरी, 2024 थी, जिसे आरबीआई ने पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है।

RBI ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 'नोडल खातों' को भी समाप्त करने का निर्देश दिया है, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन वह इसे कंपनी के सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि।

मीडिया से बात करते हुए, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक हमेशा फिनटेक सेक्टर का समर्थन करता है और वह इस क्षेत्र का तेजी से विकास सुनिश्चित कर रहा है।

यहां तक कि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी कहा था कि फिनटेक को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि पैमाने के साथ जिम्मेदारी भी आती है।

रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा बाजार तो चमका रुपया, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे चढ़ी भारतीय करेंसी

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। इस तेजी ने भारतीय करेंसी पर भी असर डाला है। रुपया 6 पैसे की बढ़त हासिल करके बंद हुआ। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 83 .02 पर खुली और ग्रीनबैक के मुकाबले 82 .91 के इंट्राडे हाई को छू गई। आज निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ।

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में मंगलवार के कारोबारी सत्र में मजबूती देखी जा रही है। आज रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय रुपये में तेजी की वजह शेयर बाजार में आई तेजी को माना जा रहा है। आज निफ्टी नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि विदेशी फंडों के निरंतर बहिर्वाह ने घरेलू मुद्रा में तेज बढ़त को सीमित कर दिया। इंडरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83.02 पर खुला और इसके बाद यह डॉलर के मुकाबले 82.91 के इंट्राडे हाई को छू गई।भारतीय करेंसी अंततः डॉलर के मुकाबले 82.95 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 6 पैसे की बढ़त दर्ज करती है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.01 पर बंद हुआ। दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.07 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज नरमी देखी जा रही है और यह 0.59 प्रतिशत गिरकर 83.07 डॉलर प्रति बैरल पर है।

इनसाइड

श्रीलंका में सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध...

श्रीलंका ने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सुधारों के तहत घाटे में चल रहे सरकारी उद्यमों के निजीकरण की योजना बनाई है। अब बौद्ध धर्मगुरु एक असामान्य कदम उठाते हुए इस पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। उधर चेन्नई में धन शोधन के आरोपों का सामना कर रही एक कंपनी को हाईकोर्ट से राहत मिली है।

नई दिल्ली। श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नीत सरकार को अब शक्तिशाली बौद्ध धर्मगुरुओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सुधारों के तहत घाटे में चल रहे सरकारी उद्यमों के निजीकरण की योजना बनाई है। अब बौद्ध धर्मगुरु एक आसामान्य कदम उठाते हुए इस पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। चार बौद्ध संप्रदायों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को लिखे एक पत्र में, जो वित्त मंत्री भी हैं को सलाह दी कि ₹राजनीतिक हस्तक्षेप, भर्ती, संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय करके राज्य उद्यमों के बेहतर प्रबंधन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए₹। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि समाज में, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के पुनर्गठन के कथित प्रयास पर व्यापक आलोचना की जा रही है। बौद्ध बहुल देश में भिक्षु श्रीलंका के शासन का एक शक्तिशाली हिस्सा हैं। राजनीतिक नेताओं को परंपरा के अनुसार शासन पर उनकी सलाह पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विक्रमसिंघे ने श्रीलंकन एयरलाइंस, दूरसंचार, राज्य बिजली प्रदाता, सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) और सरकारी बैंकों जैसी राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के पुनर्गठन की इच्छा व्यक्त की है।

पहले से बेहतर होगा अब हवाई सफर, अकासा एयर ने की 9 एयरपोर्ट पर डिजियात्रा के साथ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की शुरुआत

परिवहन विशेष न्यूज

अकासा एयर (Akasa Air) यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर के नौ प्रमुख एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा के फेस रिकर्गनाइजेशन सिस्टम (Digi Yatras facial recognition system) की शुरुआत की। अब डिजीयात्रा ऐप (Digi Yatra App) पर यात्री अपनी फ्लाइट डिटेल्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। वह आईडी और बायोमेट्रिक डेटा को भी रजिस्टर कर सकते हैं।

नई दिल्ली। अकासा एयर (Akasa Air) ने मंगलवार को बेंगलुरु, नई दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और पुणे सहित देश भर के नौ प्रमुख एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा के फेस रिकर्गनाइजेशन सिस्टम (Digi Yatra's facial recognition system) की शुरुआत की।

इसको लेकर एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि डिजीयात्रा (Digi Yatra) को अपनाना अकासा एयर की इनोवेशन और अपने यात्रियों को एक अद्वितीय यात्रा अनुभव प्रदान देने के प्रयासों को दर्शाता है।

डिजी यात्रा सेवा पूरी तरह से बायोमेट्रिक-आधारित सेल्फ-बोर्डिंग सॉल्यूशन है। यह यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराती है।

अब एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले ही यात्री डिजीयात्रा ऐप (Digi Yatra App) पर अपनी फ्लाइट डिटेल्स के साथ अपनी आईडी और बायोमेट्रिक डेटा आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं।

यह ऐप हवाई अड्डे के माध्यम से नेविगेट करते हैं और अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक यात्रियों की पहचान को प्रमाणित और सत्यापित करती है। इसके अलावा यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा भी देता है।

प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक जारी रहेगी रोक, केंद्र ने किया स्पष्ट

परिवहन विशेष न्यूज

8 दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। आज एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेगा। देश में प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

नई दिल्ली। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। आज एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेगा। यह फैसला कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। यह लागू है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वस्तु पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की रिपोर्ट पर, देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में 19 फरवरी को मॉडल थोक प्याज की कीमतें 40.62 प्रतिशत बढ़कर 1,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं, जो 17 फरवरी को 1,280 रुपये प्रति क्विंटल थीं। वहीं सूत्रों ने कहा कि आम चुनावों से पहले 31 मार्च के बाद भी प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि रबी (सर्दियों) प्याज का उत्पादन विशेष रूप से महाराष्ट्र में कम होने की उम्मीद है।

2023 के रबी सीजन में प्याज का उत्पादन 22.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था।

कृषि मंत्रालय के अधिकारी आने वाले दिनों में प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में रबी प्याज कवरेज का आकलन करेंगे।

इस बीच अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group) से मंजूरी के बाद केस-टू-केस आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है।

लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में पेटीएम शेयर अपर सर्किट पर, जानें आज कितना चढ़ा स्टॉक

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई की कार्रवाई के बाद इस महीने वन97 कम्युनिकेशन स्टॉक को एक्सचेंजों पर झटका लगा है। आरबीआई ने पीपीबीएल के संचालन को बंद करने का निर्देश दिया था। पहले इसकी समयसीम 29 फरवरी 2024 थी पर अब इसे 15 मार्च कर दिया गया है। लगातार तीन कारोबारी सत्र से पेटीएम के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर प्रतिबंध लगाने के बाद निवेशकों का फोकस पेटीएम के शेयरों पर है। दरअसल, पिछले हफ्ते कंपनी के शेयर लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे थे। हालांकि, पिछले दो कारोबारी सत्र से पेटीएम के शेयक अपर सर्किट पर ट्रेड करने लगे।

आज पेटीएम (Paytm) की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयरों में 5 फीसदी की तेजी आई। लगातार तीसरे सत्र से कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा।

रिपोर्टों के अनुसार ईडी (ED) वन97 कम्युनिकेशंस की शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) की जांच कर रहा है। ईडी को अब तक विदेशी मुद्रा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं मिला है। हालाँकि, केंद्रीय एजेंसी को नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंडों के साथ-साथ संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट तैयार करने के मुद्दों में कुछ खामियाँ मिली हैं।

पिछले हफ्ते ईडी ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए पीपीबीएल द्वारा विदेशी लेनदेन की औपचारिक रूप से जांच शुरू की थी।

पेटीएम के शेयर प्राइस

फिनटेक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 5 फीसदी की तेजी आई है। आज कंपनी के स्टॉक 376.45 रुपये और 376.25 रुपये पर पहुंच गए। यह इसकी अपर सर्किट सीमा है।

खबर लिखते वक्त बीएसई सेंसेक्स बेंचमार्क 37.98 अंक या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 72,746.14 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 3.05 अंक बढ़कर 22,110.60 पर पहुंच गया।

एक्सिस बैंक का मिला सहयोग

पेटीएम को एक्सिस बैंक का सहयोग मिला है। कंपनी ने मर्चेंट सेटलमेंट जारी रखने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग की घोषणा की थी। इसके बाद बीते कारोबारी सत्र में पेटीएम के शेयर 5 फीसदी चढ़ गए थे।

वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संचालन को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित 15 मार्च की समय सीमा के बाद पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीन की निरंतरता की अनुमति मिलेगी। आरबीआई की कार्रवाई के बाद इस महीने वन97 कम्युनिकेशन स्टॉक को एक्सचेंजों पर झटका लगा है।

31 जनवरी के आदेश के अनुसार आरबीआई ने पीपीबीएल को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा। आरबीआई ने बाद में इसकी समयसीमा को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया।

वन97 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, लेकिन वह इसे कंपनी के सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि सहायक कंपनी के रूप में।

वीभोर स्टील ने शेयर बाजार में ली शानदार एंट्री, निवेशकों हुआ जबरदस्त लाभ

स्टील पाइप निर्माता विभोर स्टील ट्यूब्स (Vibhor Steel Tubes) के शेयर लिस्ट हुए हैं। पिछले हफ्ते कंपनी ने अपना आईपीओ खोला था। आज कंपनी के शेयर 181 प्रतिशत के भारी प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर बाजार में 192 .72 प्रतिशत बढ़कर 442 रुपये पर पहुंच गया। चलिए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टिंग का दौर जारी है। आज शेयर बाजार में स्टील पाइप निर्माता विभोर स्टील ट्यूब्स (Vibhor Steel Tubes) के स्टॉक लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर 151 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 181 प्रतिशत के भारी प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए।

स्टॉक ने एनएसई पर निर्गम मूल्य से 181.46 प्रतिशत चढ़कर 425 रुपये पर शुरुआत की। वहीं, बीएसई पर कंपनी के शेयर 421 रुपये पर शुरुआत की। यह निर्गम मूल्य से 178.81 प्रतिशत की तेजी को दर्शाता है।

बाद में, यह 192.72 प्रतिशत बढ़कर 442 रुपये पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में बीएसई पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 838.14 करोड़ रुपये रहा।

आज सुबह के सत्र में बीएसई सेंसेक्स बेंचमार्क 88.40 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 72,796.56 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 15 अंक की मामूली बढ़त के साथ 22,122.10 पर है।

विभोर स्टील आईपीओ

पिछले हफ्ते विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ को संस्थागत निवेशकों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली थी। आईपीओ के अंतिम दिन लगभग संस्थागत निवेशकों ने 300 गुना सब्सक्राइब किया था।

हरियाणा स्थित विभोर स्टील ट्यूब्स की आईपीओ में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को खोला था। यह बुक-बिल्डिंग रूट के माध्यम से 72.17 करोड़ रुपये तक के निर्गम आकार तक पहुंच गया। कंपनी इश्यू से जुटाए राशि का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (वीएसटीएल) 2003 में स्थापित हुई थी। यह उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप का निर्माता है। इसका उपयोग भारत में विभिन्न भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में किया जाता है।

मोती नगर फ्लाईओवर फरवरी लास्ट और पंजाबी बाग क्लब फ्लाईओवर अप्रैल में होगा चालू

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। रिंग रोड पर पीतमपुरा, आजादपुर, शालीमार बाग और रोहिणी के रास्ते पश्चिमी दिल्ली आने-जाने वालों के रास्ते निर्माणाधीन मोती नगर फ्लाईओवर का काम करीब पूरा हो गया है। इस पुल से फरवरी के लास्ट वीक से और क्लब रोड पंजाबी बाग के निर्माणाधीन फ्लाईओवर अप्रैल में आवाजाही के लिए शुरू हो जाएगा। दोनो फ्लाईओवर PWD के अंडर 'गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी' बना रही है। दरअसल मोती नगर फ्लाईओवर बीती 16 फरवरी से चालू होना था। लेकिन किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर सील होने से कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाने में खासी परेशानी आ रही है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन मटीरियल की आवाजाही बेरोकटोक शुरू हो जाएगी, वैसे ही मोती नगर जंक्शन पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक संचालन किया जा सकेगा। अभी कारपेंटिंग का काम कुछ बकाया रह गया है जो फरवरी के अंत तक पूरा हो जाएगा।

मोती नगर फ्लाईओवर की लंबाई करीब 444 मीटर है, और चौडाई 6लेन है। जहां तक रिंग रोड पंजाबी बाग क्लब रोड फ्लाईओवर था उसे पूरी तरह तोडकर अब नए सिरे बनाया जा रहा है। यह फ्लाईओवर भी लगभग 95 फीसदी पूरा हो चुका है। कुछ लोहे के बडे गार्डर और लगाने बाकी है। एक डेढ महीने मे या अप्रैल के बीच इस फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। सिंगल पुल की जगह डबल पुल यानि आने जाने के दोनों ओर से ट्रैफिक निर्बाध चलना शुरू हो जाएगा। अभी वन साईड पुल बना हुआ था। अब दोनों तरफ पुल बन जाने से रिंग रोड मोती नगर जंक्शन पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। इस पुनः पुल निर्माण की लंबाई करीब 1.054 किमी. है। रिंग रोड पर इस फ्लाईओवर के बनने से बडा भाग स्ट्रेच फ्री हो जाएगा। इस स्ट्रेच से रोजाना करीब 1.70 लाख गाडियां गुजरती है। इसके चालू होने के बाद ट्रेफिक का दबाव और बढ सकता है।

भारत का दोस्त जापान 9 प्रोजेक्ट के लिए देगा 12,800 करोड़ का लोन, देश के इन इलाकों को होगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत का दोस्त जापान भारत के विकास में हमेशा से योगदान देता रहा है। एक बार फिर जापान भारत में नौ प्रोजेक्ट्स के लिए 232.20 अरब येन (लगभग 12,800 करोड़ रुपये) का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जतायी है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। जापान सरकार की तरफ से मिलने वाले कर्ज से भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं को मदद मिलेगी।

इन परियोजनाओं को मिलेगी जापान से मदद

खबर के मुताबिक, इन परियोजनाओं में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्ट-अप और इनोवेशन (नवोन्मेष) को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूल बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और इकोसिस्टम सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सड़क नेटवर्क संपर्क परियोजनाओं का लक्ष्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है, जबकि चेन्नई में पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना है।

दोनों देशों के बीच हुए हस्ताक्षर

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया है कि नगालैंड में परियोजना के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेवलप किया जाएगा। इससे चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना की परियोजना के तहत महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमिता कौशल का पता लगाने के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) के व्यापार विस्तार का समर्थन किया जाएगा।

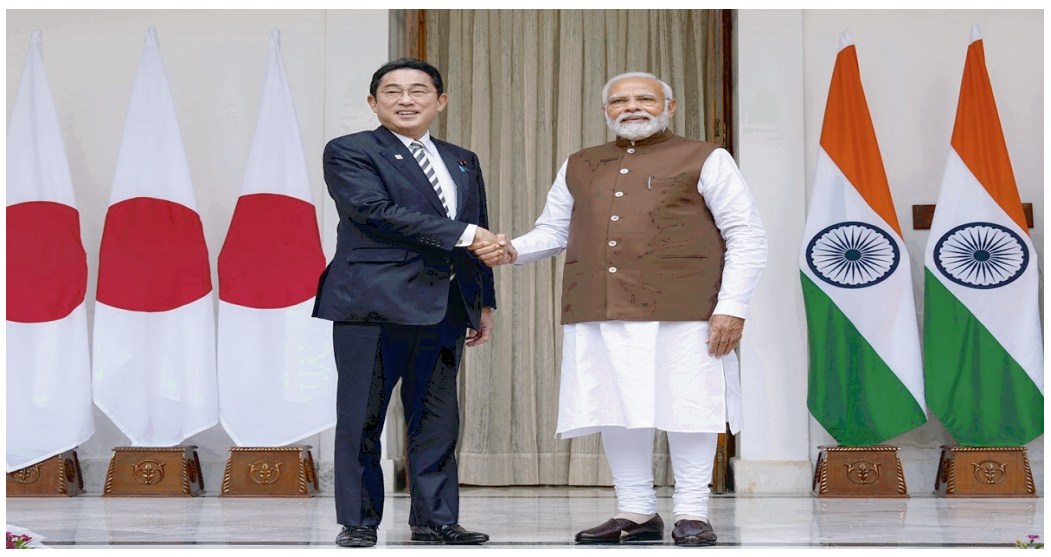

बीते साल 21 दिसंबर को, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (वी) के निर्माण के लिए 400,000 मिलियन येन और भारत में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों के लिए कार्यक्रम फेज 2 के लिए 15,301 मिलियन येन का कर्ज देने के लिए हस्ताक्षर किए थे।

सुकमा छत्तीसगढ़ की संस्थान रक्तक्रन्ति सेवा संस्थान भारत ने गणतंत्र दिवस सेवा योद्धा सम्मान पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

कर्नाटक बेंगलुरु। रक्त दान.माहदान. गोभक्त. संगठन. के.संस्थापक. गोपुत्र प्रकाश. राठौड़.के कार्य को देखते हुए सुकमा छत्तीसगढ़ की संस्थान रक्तक्रन्ति सेवा संस्थान भारत ने गणतंत्र दिवस ऑनलाइन समान पत्र देकर सम्मानित किया .तो.मुझे.तराशेगा कोन.प्रिय. साथियों सादर अवगत कराना है, , जसराज. जैन रक्तमित्र)जी द्वारा यह सम्मान दिया गया उन्होंने काम को देखते हुए सम्मानित किया बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों बताते चलें लगभग 4 गोपुत्र ने.अब तक 2500से जादा लोगो को ब्लड दिलवाया है लोगो को जागरूक करते हुए ब्लड डोनेशन ओर.गोसेवा. करवा रहे हैं और अभी तक रक्त वीरों की सहायता से कम से कम 2500. से ऊपर लोगों की जान बचाई गई है (ऑन रिकॉर्ड)और चार से पांच बार नेशनल अवॉर्ड सेरिमनी के लिए नामित किया जा चुका है और अभी भी आने वाले समय में नेशनल अवॉर्ड सेरिमनी यूपी और अन्य जगह पर प्रस्तावित है, जो भी समय मिलेगा जागरूक किया जाएगा. बहुत-बहुत धन्यवाद यह जो पहचान है सब ब्लड सेवा ओर.गोमाता. ने ही दी है ।यह सम्मान उन सभी रक्त दाताओं को समर्पित है। ***आपका अपना भाई.गोपुत्र प्रकाश राठौड़***

बारात में जा रहीं गाड़ी मे आग लगी

नई दिल्ली। सोजत हापत ग्राम से बड़ी दुःख घटना हुई जो बरात में जा रहीं गाड़ी में आग लगीं हैं, रास्ते में खड्डा होने पर चलती गाड़ी में आटोमेटिक आग लगी बुरी तरह जल गई है, गाड़ी का दो भाग हो गया है। इसका अभी तक यह पता नहीं लगा है कैसे लगी हापत गांव में ग्रामवासियों में दुख की घटना पर बहुत चिंता का मोहल्ला बना हुआ है हनुमान राम देवासी ने बताया विधायक महोदय व सरपंच से मुआवजा देने की मांग रखी है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा ट्रैफिक प्लान जारी...

परिवहन विशेष न्यूज

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.02.2024 को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा विभिन्न स्थानों से ट्रैक्टर/निजी वाहनों से आकर नॉलेज मैट्रों स्टेशन पर एकत्रित होकर एक्सपोमार्ट गोलचक्कर, बडा गोलचक्कर, शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर से माउजर बीयर गोलचक्कर तक तथा माउजर बीयर गोलचक्कर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया जाना प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत जनमानस को सुचारू यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत गलगोटिया कट, परीचौक, एलजी गोलचक्कर, माउजर बीयर गोलचक्कर, दुर्गा टाकीज गोलचक्कर व सूरजपुर चौक से आवश्यकता पडने पर यातायात का डायवर्जन किया जायेगा।

1- गलगोटिया कट से एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर एलजी की ओर जाने वाला यातायात गलगोटिया कट से परीचौक होकर गन्तव्य की ओर जा सकेगा।

2- आईएफएस विला गोलचक्कर से एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर एलजी की ओर जाने वाला यातायात पी-03 गोलचक्कर से परीचौक होकर गन्तव्य की ओर जा सकेगा।

3- एलजी गोलचक्कर से नॉलेज पार्क होकर एक्सपोर्ट गोलचक्कर की ओर आने वाला यातायात एलजी गोलचक्कर से परीचौक होकर गन्तव्य को जा सकेगा।

4- सूरजपुर से परीचौक की ओर जाने वाला यातायात सूरजपुर से तिलपता गोलचक्कर होकर 130 मीटर रोड से गन्तव्य को जा सकेगा।

5- परीचौक से सूरजपुर की ओर जाने वाला यातायात अल्फा कॉमर्शियल गोलचक्कर से 130 मीटर रोड होकर गन्तव्य को जा सकेगा।

नोटः-यातायात डायवर्जन के दौरान इमरजेन्सी वाहनों को सकुशल पास कराया जायेगा।

कृपया असुविधा से बचने हेतु वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करे तथा यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्प लाइन नम्बर 9971009001 पर सम्पर्क कर सकते है।

मीडिया सेल
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

ओडिशा से शुरू होगा वैक्सीन उत्पादन, पांडियन ने भुबनेश्वर का सैपिजेन बायोलॉजिक प्लांट दौरा किया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : आज 5 और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष श्री भी. कार्तिक पांडियन ने भुवनेश्वर के अंधारुआ बायोटेक पार्क में सैपिजेन बायोलॉजिक्स वैक्सीन विनिर्माण संयंत्र का दौरा किया। गौरतलब है कि 2.4 करोड़ विभिन्न प्रकार के टीकों की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ यह संयंत्र परिचालन के अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह वैक्सीन निर्माण संयंत्र देश का सबसे बड़ा वैक्सीन विनिर्माण संयंत्र माना जाएगा। श्री पांडियन ने संयंत्र की सभी इकाइयों का दौरा किया और प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने संबंधित सरकारी विभागों को अगले तीन महीनों के भीतर संयंत्र को चालू करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि भारत बायोटेक प्लांट का ड.कृष्णा इला की देखरेख में 1500 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक संयंत्र लगभग 150 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा और ओडिशा के लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान करेगा। प्लांट का लक्ष्य हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए 15 से अधिक प्रकार के टीके बनाना है।

श्री पदम सिंह भटखेड़ी की कविता

ढोल के अंदर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
सब कुछ डाँवाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
दानें गिनकर दाल मिलेगी गेहूँ की बस छाल मिलेगी
पानी के इंजेक्शन होंगे घोषित रोज इलेक्शन होंगे
चलने वाला सैल मिलेगा मिट्टी का बस तेल मिलेगा
शीशी मे पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
भारी भारी बस्ते होंगे आँसू सबसे सस्ते होंगे
बच्चे बौने हो जायेंगें स्वयं खिलौने हो जायेंगे
जनता गूँगी बहरी होगी बेबस कोर्ट कचहरी होगी
गुंडों का संरक्षण होगा संसद में आरक्षण होगा
फटा फटा भूगोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
प्यासों की भी रैली होगी गंगा बिलकुल मैली होगी
कंप्यूटर की माया होगी बेकारी की छाया होगी
चादर नीचे पडी मिलेगी खटिया सबकी खड़ी मिलेगी
बिस्तर सबको गोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
घर घर मे जब फैक्स मिलेगा साँसों पर भी टैक्स लगेगा
ढोल के अंदर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को
सब कुछ डाँवाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को

कांग्रेस दीवार की राजनीति पर उतर आई है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : सबसे पहले, भुवनेश्वर से सांसद और 2024 में बीजेपी की उम्मीद अपराजिता षाड़ंगी के समर्थकों ने राजधानी की दीवार पर लिखा 'अपराजिता एक बार फिर'। अपराजिता के समर्थन में कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क की दीवारों पर ऐसे संदेश लिखे जाने के बाद अपराजिता के समर्थकों और बीएमसी के बीच झड़प हो गई। हालात ये हो गए कि जहां-जहां अपराजिता के समर्थकों ने लिखा, बीएमसी ने उसे डिलीट कर दिया। बाद में, बिजेड़ी कार्यकर्ता 'घरे घरे शंख' का नारा लगाते हुए बिजेड़ी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार मैदान में कूद पड़े। जैसे ही दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी रही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रशेखरपुर में दीवार पर पद्म फूल का चिन्ह बना दिया और दीवार पर राजनीति तेज कर दी। बिजेड़ी और बीजेपी के बीच घमासान को तीन महीने हो गए हैं, अब कांग्रेस दीवार पॉलिटिक्स पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा। इसके बाद भी, उत्तर भुवनेश्वर के संभावित कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णचंद्र पति ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कीं और लोगों के घरों की दीवारों पर पोस्टर लगाए। 'कांग्रेस आ रही है' नारे के माध्यम से श्री पति के ऐसे अभिनव प्रयास ने अब उत्तर भुवनेश्वर की राजनीति में तीन प्रमुख राजनीतिक दलों की उपस्थिति का खुलासा कर दिया है।

काठगोदाम-अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री का प्रकट किया आभार

परिवहन विशेष न्यूज

काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस रेल के चलने से यात्रियों को काफी सहुलियत होगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विगत 2 दिसंबर 2023 को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर काठगोदाम से अमृतसर के मध्य सीधी रेल सेवा के संचालन का अनुरोध किया था।

अब, रेल मंत्रालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए काठगोदाम-अमृतसर के मध्य ट्रेन संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है नयी ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी गई है।

केला-हल्दी महोत्सव केला उत्पादक किसान, रिसर्चर और उद्योगों को जोड़ने का प्रयास : अर्चना चिटनिस

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आव्हान पर ''एक जिला-एक उत्पाद'' के तहत हम बुरहानपुर के केले को देश-दुनिया के नवाचारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था जब हमारे यहां 9 हजार एकड़ में केले की खेती होती थी किंतु आज 24 से 25 हजार एकड़ में केले की खेती हो रही हैं। इससे अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई की बढ़े हुए केला उत्पादन को आवश्यक मार्केट प्रदाय करें। प्रधानमंत्री जी अग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं उसी का अनुसरण कर हम यहां केला उत्पादक किसान, रिसर्चर और उद्योगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे। आज का यह आयोजन इस दिशा में एक कदम है।

यह बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने केला-हल्दी महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कही। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू, कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गजानन महाजन सहित समस्त जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित केले से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ कर स्टॉलों का निरीक्षण किया। बनाना फेस्टिवल में बुरहानपुर जिले के केले और उसके रेशे से निर्मित वस्तुएं, खाद्य उत्पाद एवं अन्य टेराकोटा, कपड़ा, लेदर, हर्बल उत्पाद निर्माताओं के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए। इसी प्रकार श्रीमती चिटनिस ने सायंकाल में केले व्यंजन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में गृहणी एवं रेस्टारेंट के व्यक्तियों ने सहभागिता की। मीठा एवं नमकीन दो श्रेणी में आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। बनाना फेस्टिवल में एक जिला-एक उत्पाद अंतर्गत केले से निर्मित अन्य उत्पाद, उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग जैसे अन्य प्रक्रियाओं से रू-ब-रू हो रहे है। बनाना फेस्टिवल में केले के प्रसंस्करण में तकनीक, अन्वेषण एवं ब्रिक्री की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, केले के रेशे से हस्त शिल्प उत्पाद, केले का रेशा, कपड़ा एवं विविध खाद्य उत्पादों पर विचार एवं निवेशों का स्वागत हेतु चर्चा की गई।

विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि हम बुरहानपुरवासी सौभाग्यशाली है कि हमारी अर्थव्यवस्था ताप्ती मैया, यहां की माटी, हमारे किसान की मेहनत और केले की फसल की वजह से है। केले की फसल ने जिले के किसानों को समृद्ध बनाने और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह केला-हल्दी उत्सव हमारे केला उत्पादक किसानों को नवाचारों के साथ जोड़ने का प्रयास है, जिसके माध्यम से हम

केला प्रसंस्करण के नवीन प्रयोग कर किसानों को लाभ दिलाने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ''एक जिला-एक उत्पाद'' कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उत्पादनों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़न और गतिशील बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के लिए केला के साथ-साथ हल्दी को शामिल किया गया है। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि जिले में केले के बाद सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल हल्दी है। केले और हल्दी दोनों ही फसलों की प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की गतिविधियों से इन्हें उगाने वाले किसानों की आय में और वृद्धि होने की अपार संभावनाएं है। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए निजी निवेश आमंत्रित करके स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए केले के फाइबर से टेक्सटॉइल व अन्य वस्तुओं के निर्माण की गतिविधियों को महज शोकेस से निकालकर इनका उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर करने की आवश्यकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए केला-हल्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बताया कि बुरहानपुर जिले में 27.36 लाख टन केले का वेस्ट प्राप्त होता है यानी 7500 टन प्रति दिवस केला वेस्ट प्राप्त होता है। वर्ष 2020 में एक जिला एक उत्पादन योजना अन्तर्गत जिला बुरहानपुर मे केला फसल को चिन्हित किया गया और वर्ष 2024 तक पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कुल 135 यूनिट स्वीकृत कराई गई थी। उन्होंने बताया कि जिले में उद्यानिकी फसलें 33.47 हजार हेक्टेयर में उगाई जाती है जिनका उत्पादन लगभग 1915 हजार टन होता है। उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसलें फल, सब्जियां, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे और मसाले है। केला, अदरक और हल्दी बुरहानपुर जिले में मुख्य आय पैदा करने वाली फसल है। इन फसलों के तहत अनुमानित क्षेत्र 24,729 हेक्टेयर 220 हेक्टेयर, 1672 हेक्टेयर है तथा उत्पादन क्रमशः 17,31,030 मीट्रिक टन, 4,375 मीट्रिक टन और 43,881 मीट्रिक टन है। जिले में लगभग 25 हजार हेक्टेयर में केले की खेती होती है। जिले में उत्पादित हल्दी की करक्यूमिन सामग्री को देश में सबसे अधिक माना जाता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023